केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो :भारतीय बस्ती दैनिक वेब
www.bhartiyabasti.com
और उसका छपा संस्करण
सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क–bhartiyabasti@gmail.com
मो० 9450567450| 9336715406

दैनिक भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com के लिये विज्ञापन बुक कराये। विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम
सम्पर्क
मो० 9336715406
8400925463

भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं० B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :48 अंक 66 शनिवार 26 सितम्बर 2026 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन

नई दिल्ली (आभा)। चुनाव आयोग के कामकाज और वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' 'एसआईआर को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद के बीच, शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किए। वे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और उन्हें हटाने की मांग कर रहे थे। जम्मू–कश्मीर, असम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और मणिपुर समेत कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुए, जहाँ पार्टी कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के दफ्तरों की ओर मार्च किया और सीईसी के खिलाफ नारेबाजी की। देहरादून में, उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल की अगुवाई में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं न पीसीसी मुख्यालय से राज्य सचिवालय स्थित चुनाव कार्यालय तक मार्च किया ताकि कार्यालय का घेराव किया जा सके। उत्तराखंड पीसीसी अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा राहुल गांधी पिछले तीन सालों से कह रहे हैं कि वोट चोरी के जरिए चुनाव आयोग भाजपा की सरकारें बनवा रहा है और आज यह बात सच साबित हो गई है। मैं राहुल गांधी की दृढ़ता को सलाम करता हूँ... निश्चित रूप से, इससे देश को फायदा होगा। हम निष्पक्ष और साफ–सुथरे चुनाव चाहते हैं। अगर साफ–सुथरे और निष्पक्ष चुनाव होते हैं, तो उसका अपना असर होगा।

उत्तराखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता यशपाल आर्य ने कहा, तीन सालों से राहुल गांधी मुख्य चुनाव आयुक्त के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं, खासकर इस बात पर कि कैसे 'फॉर्म 6' से जुड़े नियमों की अनदेखी की गई और कैसे एसआईआर प्रक्रिया के जरिए वोट हटाए या जोड़े गए। हालाँकि, बाकी दो चुनाव आयुक्तों ने दस महीने की अवधि में 14 बार आपत्तियाँ उठाईं, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। अब यह बात सामने आई है कि पिछले कुछ सालों में 13 करोड़ वोट हटा दिए गए और बीजेपी की केंद्र सरकार ने चुनावी प्रक्रिया में हेरफेर की... उनके खिलाफ देशद्रोह का आपराधिक मामला दर्ज किया जाना चाहिए और उन्हें तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। लखनऊ में, कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी के राज्य कार्यालय में इकट्ठा हुए और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में प्रदर्शन किया।

मणिपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ओकराम इबोबी सिंह और कांग्रेस विधायक दल के नेता केइशम मेघचंद्र सिंह की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कुमार की गिरफ्तारी और उन पर मुकदमा चलाने की मांग करते हुए लैम्फेलपट स्थित मुख्य निर्वाचन कार्यालय की ओर मार्च किया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान एक रैली निकाली गई जिसमें ज्ञानेश कुमार की तुरंत गिरफ्तारी के नारे लगाए गए और उनका पुतला भी फूंका गया। प्रदर्शन हिंसक हो गया और प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प हुई। बाद में पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इसके अलावा, जम्मू में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के दौरान चुनाव आयोग के कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था।

शनिवार को बंद रहेंगे स्कूल

–भारतीय बस्ती संवाददाता

बस्ती जिले में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए शनिवार, 26 सितंबर को सभी स्कूल बंद रहेंगे। जिलाधिकारी कृत्तिका ज्योत्सना के निर्देश पर कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यालयों में छुट्टी घोषित की गई है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने शुक्रवार, 25 सितंबर को इस बारे में आदेश जारी किया है।

ईओ की तहरीर अयोध्या में नगर पालिका रूदौली अध्यक्ष पर मुकदमाः जांच शुरू

संवाददाता– अयोध्या। अयोध्या में नगर पालिका परिषद रुदौली की बोर्ड बैठक में नौ कर्मचारियों के वेतन स्वीकृति को लेकर उपजे विवाद अब मुकदमे तक पहुंच गया है। अधिशासी अधिकारी (ईओ) प्रेमनाथ की तहरीर में पालिका अध्यक्ष जब्बार अली पर लगाए गए मारपीट, गाली–गलौज और धमकी के आरोपों के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। वहीं अध्यक्ष की ओर से ईओ के खिलाफ दी गई तहरीर पर जांच चल रही है। मंगलवार को रुदौली नगर पालिका में आयोजित बोर्ड बैठक में नौ कर्मियों की नियुक्ति व एक माह के वेतन स्वीकृति का मुद्दा उठने पर अध्यक्ष और ईओ के बीच बहस हुई थी। सभासदों ने बोर्ड और अध्यक्ष की सहमति के बिना वेतन स्वीकृत किए जाने पर सवाल उठाए। इसी दौरान विवाद बढ़ गया।इसके बाद बुधवार की ईओ व

पालिकाध्यक्ष ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने ईओ की शिकायत के आधार पर पालिकाध्यक्ष जब्बार अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया,वही अध्यक्ष की तहरीर पर फिलहाल एफआईआर नहीं हुई है और पुलिस आरोपों की जांच कर रही है।

कोतवाल संजय मौर्य ने बताया कि ईओ की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि अध्यक्ष की तहरीर की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। आपको बता दे कि बोर्ड बैठक में नौ कर्मचारियों की नियुक्ति और वेतन भुगतान के साथ राज्य वित्त आयोग के 90 विकास कार्यों के वर्कऑर्डर लंबित होने का मुद्दा भी उठा था।

इसी बीच अध्यक्ष और ईओ के बीच हुआ वाद–विवाद का थाने तक पहुंचना अब पालिका की प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर भी असर डाल रहा है। विकास कार्यों और जनसुनवाई से जुड़े मुद्दों के बीच दोनों जिम्मेदार पदाधिकारियों की कानूनी खींचतान ने पालिका के कामकाज को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है। फिलहाल अपनी सुरक्षा को लेकर भयभीत ईओ को रुदौली पुलिस ने एहतियात के तौर पर सुरक्षाकर्मियों के साथ नगर पालिका में छोड़ दिया। गुरुवार को उनकी ही तहरीर पर केस दर्ज कर लिया। क्षेत्र में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।

एक नजर

बरसात से राहत

–भारतीय बस्ती संवाददाता

बस्ती । जिले में शुक्रवार सुबह से रुक–रुककर बारिश हो रही है। सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे बारिश के चलते मौसम सुहाना हो गया है और तापमान गिर गया है। मौसम बदलने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है।

शुक्रवार सुबह आठ बजे तक जिले में 77 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। सुबह से रुक–रुककर हो रही बारिश के कारण दिनभर मौसम ऐसा ही रहने की संभावना है। कई जगहों पर बारिश के कारण सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही पर भी असर पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार, 25 सितंबर को बस्ती में न्यूनतम तापमान करीब 24.7 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं, अधिकतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।

कुदरहा ब्लाक परिसर में लगेगा पांच दिवसीय शिविर

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

कुदरहा, (बस्ती)। सेवा संकल्प अभियान को प्रभावी बनाने के लिये सेवासेतु योजना के अंतर्गत ब्लाक परिसर में लगने वाले पांच दिवसीय बहुउद्देशीय सेवा शिविर के आयोजन को सफल बनाने के लिये सभागार में शुक्रवार को खंड विकास अधिकारी आलोक कुमार पंकज के नेतृत्व में कर्मचारियों के साथ आवश्यक बैठक किये। जिसमे सचिव, तकनीकी सहायक, रोजगार सेवक, पंचायत सहायको को गांव में प्रचार प्रसार कर गांव के अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुचाने के निर्देश दिए।

बीडीओं आलोक कुमार पंकज ने कहा कि सेवा सेतु अभियान को प्रभावी बनाने के लिए पांच दिवसीय बहुउद्देशीय सेवा शिविर लगेगा। जिसमें गांव के व्यक्तियों को योजना से जोड़ने के लिए समाज कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, निर्वाचन विभाग, ग्राम विकास, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, उद्योग एवं सेवायोजन, बैंकिंग एवं ऋण, खाद्य एवं आपूर्ति, विद्युत विभाग, बेसिक, माध्यमिक विभाग, कौशल विकास व श्रम विभाग सहित 18 विभागों द्वारा तीन से सात अक्टूबर तक स्टाल लगना है।

बैठक में सीएम फेलों आनंद सोनी, आपरेटर राहुल कुमार, सत्येंद्र तिवारी, सुरेंद्र सिंह, केपी गिरी, सीबी यादव, महेंद्र यादव अभिनव यादव राकेश कुमार बजरंग बाण कमलेश सिंह, संदीप कुमार, अविनाश, संदीप यादव सहित तमाम कर्मचारी मौजूद रहे।

आँगन मिलन सेवा शुरू

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत तीन दिवसीय आँगन मिलन सेवा का शुभारंभ आयोजन जनपद के सभी ऑगनबाड़ी केंद्रों पर किया गया। कार्यक्रम के अवसर पर मा. जनप्रतिनिधियों की भी उपस्थिति रहीं। उक्त जानकारी देते हुए नोडल जिला कार्यक्रम अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि यह आयोजन अगले दो दिवसों में भी होगा। कार्यक्रम में विभागीय योजनाओं की जानकारी के साथ–साथ पात्र लाभार्थी को मौके पर ही लाभ दिए जाने की भी व्यवस्था की गयी है। कार्यक्रम में काफी संख्या में लाभार्थी एवं ग्राम वासी उपस्थित रहें।

उन्होने बताया कि कार्यक्रम के दौरान ऑगनबाड़ी कार्यकत्रियों का सम्मान, लाभार्थियों का सम्मान, प्रमाण पत्र वितरण, बच्चों को उपहार सामग्री का वितरण किया गया। इस अवसर पर गर्भवती महिलाओं की गोद भराई तथा बच्चों का अन्न प्राशन कराया गया।

चन्द्रशेखर जन्मशती समारोह 27 कोः तैयारियां तेज

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। पूर्व प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर के जन्मशती वर्ष के उपलक्ष्य में 27 सितम्बर रविवार को "चन्द्रशेखर जन्मशती समारोह" का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम को लेकर आयोजक समिति की ओर से तैयारियां जोर–शोर से चल रही हैं। समारोह का आयोजन गोविन्द राम सक्सेरिया इण्टर कॉलेज सभागार में सुबह 10 बजे से किया गया है।

कार्यक्रम संयोजक डॉ. हरिओम श्रीवास्तव ने यह जानकारी देते हुये बताया कि चन्द्रशेखर जन्मशती समारोह में अतिथि वक्ता के रूप में सुबोध कान्त सहाय, प्रो. राजकुमार जैन, डॉ. राकेश पाठक, सांसद राम प्रसाद चौधरी, प्रो. अरुण त्रिपाठी, प्रो. चितरंजन मिश्रा, डॉ. सुनीलम, डॉ. रघुवंश मणि त्रिपाठी, अरुण कुमार श्रीवास्तव, सूर्यकुमार, राजमणि पाण्डेय, श्याम जी त्रिपाठी, विधायक राजेन्द्र चौधरी, विधायक महेन्द्रनाथ

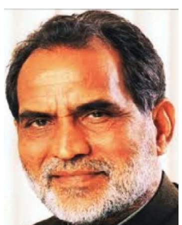

यादव, कविन्द्र चौधरी 'अतुल' सहित अन्य अतिथि वक्ता मौजूद रहेंगे।

उन्होने बताया कि आयोजन समिति के रजवन्त सिंह, राजकुमार पाण्डेय, अजय कुमार सिंह 'अखण्ड', अनिल कुमार सिंह, सुधाकर शाही, श्रवण कुमार सिंह, गोपाल जी गौतम, मो. इब्राहीम, प्रहलाद गुप्ता, सिराज अहमद आदि समारोह की सफलता के लिये निरन्तर सम्पर्क कर रहे हैं।

डा. अजय कनौजिया कांग्रेस में शामिल

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रभारी राजेन्द्र पाल गौतम की मंशानुरूप चिकित्सक डॉ. अजय कनौजिया ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया।

डा. अजय कनौजिया को प्रदेश अध्यक्ष किसान कांग्रेस कमेटी, उत्तर प्रदेश बृज मौर्या के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश ज्वाइनिंग प्रभारी नितिन शर्मा द्वारा विधिवत कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई गई।

इस अवसर पर सर्वेश श्रीवास्तव संगठन प्रभारी किसान कांग्रेस कमेटी, श्री कमलेश तिवारी प्रदेश महासचिव किसान कांग्रेस कमेटी, अतुल वर्मा सचिव किसान कांग्रेस कमेटी, अबूबकर खान महासचिव किसान कांग्रेस कमेटी तथा अरुण त्रिपाठी प्रदेश सचिव किसान कांग्रेस कमेटी सहित कांग्रेस के अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने पर डा. आलोक रंजन वर्मा, वरिष्ठ चिकित्सक डा..वी के वर्मा, जिलाध्यक्ष विश्वनाथ चौधरी श्रीमती लक्ष्मी यादव, श्रीमती सरोज के साथ ही जनपद अनेक कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य एवं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डा.अजय कनौजिया के पार्टी में शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त किया है।

जयन्ती पर याद किये गये पंडित दीनदयाल उपाध्याय

–भारतीय बस्ती संवाददाता

बस्ती। भारतीय जनता पार्टी द्वारा शुक्रवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती बड़े श्रद्धाभाव के साथ जिले स्तर पर मनाई गई। जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्र के नेतृत्व में पार्टी के सभी मंडलों एवं बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। जिलाध्यक्ष ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुस्तकालय एवं वाचनालय पर पंडित दीनदयाल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके विचारों एवं एकात्म मानववाद के दर्शन को समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुँचाने वाले 'अंत्योदय' के सिद्धांतों का महत्व रेखांकित किया।

भाजपा ने जनसेवा तथा पात्र लाभार्थियों तक केंद्र व राज्य सरकारों की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ पहुँचाने हेतु 'सेवा सेतु अभियान' का भी भव्य शुभारम्भ किया।

जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्र ने सल्टौआ में और विधायक अजय सिंह ने विक्रमजोत में,रवि सोनकर ने बहादुरपुर ,रामायण सिंह ने बनकटी राकेश श्रीवास्तव ने बस्ती सदर, प्रमोद पांडेय ने साऊंघाट, ममता पांडेय ने कप्तानगंज में विभिन्न विकासखण्डों में बहुद्देशीय सेवा शिविरों का उद्घाटन नेताओं द्वारा किया गया। सेवा शिविरों में प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ,सामाजिक सुरक्षा एवं पेंशन सेवाएँ वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग पेंशन,स्वास्थ्य सेवाएँ तथा आयुष्मान भारत कार्ड पंजीकरण एवं वितरण महिला व बाल विकास, दिव्यांग

कल्याण संबंधी सहायता,प्रधानमंत्री आवास योजनाएँ, मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की जानकारी,कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन व स्वरोजगार योजनाओं के लिए मार्गदर्शन,बैंकिंग व ऋण सुविधा, श्रमिक पंजीकरण,मतदाता पंजीकरण, राशन कार्ड संबंधी कार्य, विद्युत, शिक्षा व कौशल विकास सहायता आवेदन–पंजीकरण व समस्याओं के त्वरित निवारण की प्रक्रिया

जिलाध्यक्ष ने बताया कि आगामी शनिवार को क्षेत्रीय महामंत्री व जिला प्रभारी डॉ. सत्येंद्र सिंह का बस्ती आगमन सुनिश्चित है। उनका स्वागत सुबह 11 बजे बस्ती टोल पर किया जाएगा,इसके बाद भाजपा कार्यालय परएक परिचयात्मक बैठक होगी।

जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी,भानु प्रकाश मिश्र, प्रत्यूष विक्रम सिंह, अमृत कुमार वर्मा, अजय पाल सिंह, अखंड प्रताप सिंह, वीरेन्द्र गौतम, दिलीप पाण्डेय, शिवानी सिंह, शालिनी मिश्र, राकेश शर्मा, नीलम गौड़, सुरेन्द्र कुमार चौधरी, सुधाकर पाण्डेय 'नीरज', विनय सिंह भारद्वाज, राधेश्याम कमलापुरी, विद्यामणी, अभिनव उपाध्याय, वेद प्रकाश त्रिपाठी, तारक जायसवाल, मनोज कुमार पाठक, लवकुश शुक्ला, गंगेश सिंह, विशुद्धानंद तिवारी, राजेश कमलापुरी, गौरव मणि तिवारी, गिरजेश यादव, जमुना पाण्डेय, सुजीत सोनी, सुधाकर विक्रम सिंह, सुरेश भट्ट, कमेन्द्र चौहान, शिव प्रसाद चौधरी, विजय भान सिंह, अंकित पाण्डेय 'पवन', संजय कुमार चौरसिया, दुर्गेश अग्रहरी, शिवचरण जायसवाल, विनय यादव, जनक राम, राज कुमार शुक्ल, सतेन्द्र सिंह भोलू, राजू पाण्डेय सहित जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, मोर्चा पदाधिकारी, उपस्थित जन. प्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि आने वाले दिनों में व्यापक रूप से शिविरों का आयोजन कर जनता को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा ।

यूपी में 4 लाख 20 हजार से अधिक फार्मासिस्ट बेरोजगार सरकार की चुप्पी दुर्भाग्यपूर्ण–डा. वाहिद अली सिद्दीकी

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । शुक्रवार को ऑल इण्डिया फार्मासिस्ट फेडरेशन द्वारा प्रेस क्लब सभागार में विश्व फार्मासिस्ट दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. वाहिद अली सिद्दीकी ने फार्मासिस्टों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करते हुये कहा कि सरकार प्रदेश के प्रशिक्षित फार्मासिस्टों को अवसर दे तो स्वास्थ्य सेवाओं को बदहाली से बचाया जा सकता है। एक तरफ तो सरकार संविदा के चिकित्सकों से जैसे–तैसे काम चला रही है वहीं लगभग 4 लाख 20 हजार से अधिक फार्मासिस्ट बेरोजगार है। उन्हें तत्काल सेवाओं से जोड़कर स्थितियों को संभाला जा सकता है। फार्मासिस्टों को प्रशिक्षण देकर ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टर के रूप में उनकी नियुक्ति की जाय जिससे ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा को सुधारा जा सके। कहा कि 2007 के बाद से अभी तक नियुक्तियां न करके सरकार फार्मासिस्टों के हितों की खुली अनदेखी

–विश्व फार्मासिस्ट दिवस पर गूंजा नियुक्तियों का मुद्दा

कर रही है। यदि शीघ्र समस्याओं का समाधान न हुआ तो फेडरेशन प्रदेश व्यापी आन्दोलन को बाध्य होगा।

गोष्ठी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोज चौधरी, महासचिव डा. मनोज कुमार पाण्डेय, फेडरेशन जिलाध्यक्ष डा. पवन कुमार पाण्डेय, जफर अहमद अंसारी, श्यामनरायन चौधरी आदि ने सम्बोधित करते हुये फार्मासिस्टों की समस्याओं पर विस्तार से प्रकाश डालते हुये एकजुटता पर जोर दिया । कहा कि फार्मासिस्ट स्वास्थ्य सेवाओं के अभिन्न अंग के साथ ही डाक्टर और मरीज के बीच की मजबूत कड़ी हैं। इनकी समस्याओं का प्रभावी समाधान निकाला जाना चाहिये। । शैलेन्द्र पाण्डेय, मधुर प्रकाश चौधरी, दुर्गेश गुप्ता, नरेन्द्र कन्नौजिया, आदि ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में फार्मासिस्टों के लिये स्पष्ट नीति बनाये जाने की जरूरत है। वर्षो तक प्रशिक्षण के बाद उनकी नियुक्ति न किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। कहा कि दुखियों की सेवा फार्मासिस्टों का धर्म है। फार्मासिस्टों को उनका अधिकार मिलना चाहिये। सरकारी अस्पतालों में फार्मासिस्टों की मानक के अनुरूप नियुक्ति के साथ ही संख्या के अनुरूप उसकी समीक्षा की जानी चाहिये। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदीप जायसवाल, राघवेन्द्र प्रसाद, विनोद कुमार, अमित चौधरी, सुभाष चन्द्र राना, जय प्रकाश मौर्या, विनोद कुमार, संदीप कुमार, गंगाराम, सौरभ पाण्डेय के साथ ही अनेक फार्मासिस्ट एवं सामाजिक संगठनो के लोग उपस्थित रहे।

विश्व फार्मासिस्ट दिवस पर वृद्धा आश्रम में स्वास्थ्य शिविर का आयोजनः फल का वितरण

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। शुक्रवार को अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन द्वारा विश्व फार्मासिस्ट दिवस के अवसर पर वृद्धाश्रम, बनकटा में स्वास्थ्य शिविर एवं जनसेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एबीपीए जिलाध्यक्ष गिरिजेश सेन ने किया।

कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों के स्वागत, दीप प्रज्वलन, सरस्वती पूजन एवं फीता काटकर किया गया। इसके उपरांत वृद्धाश्रम में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं चिकित्सकीय परामर्श, औषधि एवं फल वितरण, वृक्षारोपण तथा स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के माध्यम से जरूरतमंद लोगों की सेवा के साथ–साथ स्वस्थ एवं पर्यावरण के प्रति जागरूक समाज का संदेश दिया गया।

मुख्य अतिथि मुकेश कुमार, ड्रग इंस्पेक्टर, विजय पाण्डेय, प्रदेश सचिव एबीपीए तथा अभिषेक उपाध्याय सहित अनेक चिकित्सक, अधिकारी, गणमान्य नागरिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मुकेश कुमार ने कहा कि फार्मासिस्ट स्वास्थ्य व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी है।

कार्यक्रम में बस्ती मण्डल अध्यक्ष प्रर्मेन्द्र कुमार गौतम, मंडल उपाध्यक्ष परमात्मा प्रसाद, जिलाध्यक्ष आईटी सेल मो. फारूक अब्दुल्लाह, जिला उपाध्यक्ष सिद्धार्थ प्रताप सिंह, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष कृष्ण मोहन

–फार्मासिस्ट स्वास्थ्य व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी– मुकेश कुमार

यादव, जिला महासचिव वैभव श्रीवास्तव, कार्यक्रम प्रभारी अश्वनी चौधरी, मीडिया प्रभारी धर्मनाथ एवं धर्मेन्द्र कुमार, जिलाध्यक्ष टीचर्स विंग सत्यम श्रीवास्तव, संरक्षक सलाहुद्दीन, सलाहकार श्याम मोहन चौधरी, जिला सचिव विक्रम शर्मा एवं अजय कुमार वर्मा, कोषाध्यक्ष अजय चौधरी सहित सदस्य पवन रौनियार, सूरज चौहान, अब्दुर्रशीद, प्रभुनाथ, आत्माराम वर्मा, अखिलेश गुप्ता, विजय कुमार, मो. सिराज सहित संगठन के अनेक पदाधिकारियों एवं सक्रिय सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

कार्यक्रम के दौरान जनसेवा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में सहयोग के लिए चिकित्सकों एवं सहयोगी सदस्यों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डॉ. शशि, डॉ. पंकज, डॉ. मनीष पाण्डेय, डॉ. रेनू, डॉ. धर्मेंद्र, डॉ. विवेक, डॉ. कुशवाहा सहित ब्ङ्व द्वारा आवंटित अन्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में फार्मासिस्टों की स्वास्थ्य व्यवस्था एवं सामाजिक सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया तथा जनहित में निरंतर सेवा कार्य करने का संकल्प लिया गया। जिलाध्यक्ष गिरिजेश सेन ने कहा कि फार्मासिस्ट स्वास्थ्य व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। दवाओं के सुरक्षित एवं उचित उपयोग के साथ–साथ मरीजों को औषधि संबंधी परामर्श, स्वास्थ्य जागरूकता तथा जरूरतमंद लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने में फार्मासिस्टों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि एबीपीए जनहित एवं सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मै इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"–वेंडेल फिलिप्स

दैनिक
भारतीय बस्ती
बस्ती 26 सितम्बर 2026 शनिवार

सम्पादकीय

निशाने पर मुख्य चुनाव आयुक्त

विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के कामकाज के बारे में 'द इंडियन एक्सप्रेस' की छानबीन यह दिखाती है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की देखरेख में जो घटित हुआ, उसे लेकर बेचौनी सिविल सोसाइटी, मीडिया और विपक्ष तक ही सीमित नहीं है। खुद आयोग भी इस बेचौनी से गुजर रहा था। निर्वाचन आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने विभिन्न निर्णयों पर अक्टूबर 2025 और अगस्त 2026 के बीच कम–से–कम 14 बार ऑन रिकॉर्ड आपत्ति दर्ज की। उन्होंने कहा कि कई निर्णय तो उनकी जानकारी के बगैर लिये गये। उनकी असहमति ठीक वही है जो कई लोग लंबे समय से एसआईआर के बारे में कहते आ रहे हैं। मई में, श्री जोशी ने आगाह किया था कि नये मतदाताओं के लिए आवेदन यानी फॉर्म 6 को सरकार द्वारा नियमों में संशोधन के बगैर बदला नहीं जा सकता। फिर भी, जुलाई में, फॉर्म में इस बारे में सवाल शामिल थे कि क्या आवेदक या उसके माता–पिता या दादा–दादीध्नाना–नानी "पिछले एसआईआर की मतदाता सूची" में मौजूद थे दृ जिसे श्री संधू ने "अनधिकृत और अवैध" कहा। निर्वाचन आयुक्तों ने मतदाता सूची डेटाबेस के केंद्रीकरण पर चिंता जतायी, पड़ताल की मांग की और यह दर्ज किया कि फील्ड अधिकारियों की 'ईआरओनेट' पोर्टल तक पूरी पहुंच नहीं थी। यह ठीक वही है जिसकी शिकायत स्थानीय चुनाव अधिकारियों ने की थी। उनकी शिकायत थी कि मतदाताओं की पात्रता के मामले में वैधानिक प्राधिकारी चुनाव पंजीकरण अधिकारी हैं, जिनके अधिकारों को गौण करके सूचियों में कई सारे बदलाव केंद्रीय डेटाबेस स्तर पर किये गये।

निर्वाचन आयोग के निर्णय लेने और उसके कामकाज में असंगतियों के खामियाजे पश्चिम बंगाल में सबसे गहरे थे। लगभग 60 लाख मतदाता सॉफ्टवेयर–जनित "तार्किक विसंगतियों" बहुतेरी संदिग्ध – के लिए चिह्नित किये गये और 27 लाख नाम हटाये गये। ट्रिब्यूनल के समक्ष लंबित 38 लाख अपीलों में से 16.1 लाख उनके द्वारा दायर की गयीं जो न्यायिक अधिकारियों द्वारा सूची में शामिल किये गये मतदाताओं के नाम हटवाना चाहते थेय श्री संधू का यह सवाल कि आयोग की ओर से इन्हें दायर करने की मंजूरी किसने दी, अब भी अनुत्तरित है। इस दरम्यान, नाम हटाने के खिलाफ अब तक निर्णीत हर 10 अपीलों में नौ से ज्यादा ऐसी हैं जिन्होंने मतदाताओं के नाम वापस जोड़े हैं। यह बताता है कि पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले इस कवायद ने लाखों असली मतदाताओं के नाम काटे। 'द हिंदू' के एक विश्लेषण ने यह भी उजागर किया कि दिल्ली में 70 सीटों में से 24 की मसौदा सूचियों में अब उससे भी कम मतदाता हैं जितनों ने महज डेढ़ साल पहले वास्तव में वोट डाला था। बुधवार को, न्यायमूर्ति दीपंकर दत्त ने, दो जजों की बेंच के हिस्से के तौर पर, अपनी राय में कहा कि साल 2023 के अधिनियम द्वारा चयन पैनल में सीजेआई (जिन्हें अनूप बर्नवाल फैसले ने इस पैनल में रखा था) की जगह एक केंद्रीय मंत्री को लाना "धारणा की कसौटी" पर खरा नहीं उतरता। इसी पैनल ने श्री कुमार को सीईसी चुना। अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के डिजाइन पर दृ जो नाम पहले हटाता है, सत्यापन बाद में करता है, पात्रता साबित करने का बोझ राज्य के बजाय नागरिक पर डालता है, और इस तरह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की संवैधानिक गारंटी को नाकाम करता है – पर्याप्त रूप से गौर किये बिना इसे पहले सही ठहराया था। श्री कुमार को इस्तीफा देना चाहिए और सूचियों के डेटाबेस का ऑडिट होने तक सुप्रीम कोर्ट को और नाम हटाने पर रोक लगा देनी चाहिए। इससे कम कुछ भी भारत के लोकतंत्र की नाकामी होगी।

बढ़ते सड़क हादसे

विकास के लिए अच्छी और निर्बाध सड़कें जरूरी हैं, लेकिन इससे ज्यादा अहम यह है कि उस पर सफर सुरक्षित हो। विडंबना यह है कि पिछले कुछ वर्षों से एक्सप्रेस–वे को विकास के पर्याय के रूप में तो पेश किया जा रहा है, लेकिन उन पर सफर लगातार असुरक्षित होता गया है। देश में अलग–अलग एक्सप्रेस–वे पर आए दिन होने वाले हादसे यह बताने के लिए काफी हैं कि एक ओर प्रबंधन के स्तर पर घोर लापरवाही बरती जा रही है, तो दूसरी ओर बेलगाम तरीके से वाहन चलाने वाले भी सतर्कता बरतना जरूरी नहीं समझते।

गौरतलब है कि ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेस–वे पर दिल्ली से महोबा जा रही एक बस में बुधवार रात आग लगने की वजह से नौ लोगों की जलकर मौत हो गई, जबकि बीस लोगों को किसी तरह बचाया जा सका। हैरानी की बात है कि जब बस में आग लगने की आशंका को लेकर यात्रियों ने चालक– परिचालक को सचेत किया और शोर मचाया, तो उन्होंने लापरवाही से उसे खारिज कर दिया। इसके बाद बस में आग लग गई और चालक–परिचालक भाग निकले।

इस हादसे के संदर्भ में देखें, तो बहुस्तरीय लापरवाही का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि हादसे का शिकार हुई बस मध्य प्रदेश से संचालित थी, जिसका पंजीकरण बिहार में हुआ था, जबकि फिटनेस प्रमाणपत्र राजस्थान और प्रदूषण प्रमाण पत्र हरियाणा से जारी किया गया था। आखिर ऐसा कैसे संभव हुआ कि अब तक यह बस इस तरह के दस्तावेजों के साथ सड़क पर दौड़ रही थी, मगर उसे रोकने–टोकने वाला कोई नहीं था?

साफ है, एक ओर यह दुर्घटना सड़क यातायात प्रबंधन में प्रशासन के स्तर पर बरती जाने वाली आम लापरवाही का नतीजा है, वहीं सिर्फ बेहिसाब मुनाफे के लिए बसों के संचालक भी यात्रियों की जान की परवाह नहीं करते हैं। खबरों के मुताबिक, नोएडा पुलिस दिल्ली पुलिस को पत्र लिख कर यह जानकारी मांगेगी कि कश्मीरी गेट से इतनी बड़ी संख्या में बसों का कथित तौर पर अवैध रूप से संचालन किस तरह हो रहा है। विचित्र यह है कि कोई बड़ा हादसा होने के बाद प्रशासन जिस पैमाने पर सक्रिय दिखता है, उतनी सक्रियता सामान्य दिनों में नहीं दिखती। जबकि ऐसा होता, तो शायद व्यवस्थागत लापरवाही की वजह से होने हादसों में कमी लाई जा पाती।

दवा के नाम पर खुली डकैती और तंत्र

–अशोक भाटिया–

भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में जहां जन–कल्याण को शासन का मूलमंत्र माना जाता है, वहां स्वास्थ्य का क्षेत्र एक गंभीर संक्रमण काल से गुजर रहा है। बीमारियां जिस रफ्तार से बढ़ रही हैं, उससे कहीं अधिक तेजी से चिकित्सा के नाम पर इंसानी जिंदगियों से खिलवाड़ का एक भयावह और अनैतिक तंत्र विकसित हो चुका है। हाल ही में फार्मास्युटिकल क्षेत्र में मुनाफे की हवस और मरीजों के साथ हो रही धोखाधड़ी की गूंज देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनाई दी है। न्याय के सर्वोच्च मंदिर ने दवा निर्माताओं, अस्पतालों और सरकारी नियामक संस्थाओं के रवैये पर जो तल्ख टिप्पणियां की हैं, उसने हमारे पूरे स्वास्थ्य तंत्र की रीढ़ को हिलाकर रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ द्वारा एक मामले की सुनवाई के दौरान प्रयुक्त यह वाक्यकृष्यह तो सीधे तौर पर दिन–दहाड़े डकैती हैष्कृमहज एक टिप्पणी नहीं, बल्कि उस लाचार भारतीय नागरिक की सामूहिक चीख का प्रतिनिधित्व करता है, जो बीमारी से पहले इलाज के खर्च और उसमें होने वाली जालसाजी से मर जाता है।

न्यायालय के समक्ष जो तथ्य उभरकर सामने आए हैं, वे किसी भी संवेदनशील समाज को स्तब्ध करने के लिए पर्याप्त हैं। खासकर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से जूझ रहे मरीजों के घावों पर जिस तरह मुनाफाखोरी का नमक छिड़का जा रहा है, वह अमानवीयता की पराकाष्ठा है। अदालत के संज्ञान में लाया गया कि कैंसर की एक आवश्यक जीवन रक्षक दवा, जिसकी कीमत निर्माता कंपनी द्वारा रिटेलर के लिए महज घ2,700 तय की जाती है, उस पर अधिकतम खुदरा मूल्य पूरे घ27,000 छाप दिया जाता है। यानी कि लागत और थोक मूल्य से ठीक दस गुना अधिक दाम पर उस दवा को बेचे जाने की खुली छूट दे दी गई। एक पीड़ित परिवार और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा दायर की गई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने इस अकल्पनीय मूल्य अंतर पर गहरी नाराजगी जताई। अदालत ने सीधे शब्दों में सवाल पूछा कि मरीजों को इस तरह बेदर्दी से लूटने की इजाजत व्यवस्था कैसे दे सकती है? निर्माता कंपनियां और बड़ी–बड़ी कॉरपोरेट फार्मेसियां मिलकर मरीजों की जेब पर जो डाका डाल रही हैं, उस पर राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण और स्वास्थ्य मंत्रालय जैसी नियामक इकाइयां आंखें मूंदकर क्यों बैठी हैं?

यह मामला सिर्फ निजी क्षेत्र की लूट तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के खजाने और टैक्सपेयर्स के पैसे में सेंधमारी का भी एक बड़ा घोटाला साबित हो रहा है। आज केंद्र सरकार श्आयुष्मान भारतश, ब्ळभ्ै और क्ळभ्ै जैसी लोक–कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीब और मध्यम वर्ग के इलाज का खर्च उठाती है। निजी अस्पताल इन्हीं बढ़ी हुई और मनमानी एमआरपी पर दवाएं खरीदते हैं और बाद में सरकारी खजाने से उसका शत–प्रतिशत रीइम्बर्समेंट क्लेम करते हैं। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि चंद दवा माफियाओं और निजी अस्पतालों की तिजोरियां भरने के लिए आम जनता के खून–पसीने की गाढ़ी कमाई को पानी की तरह बहाया जा रहा है। करदाताओं का पैसा जो देश के बुनियादी ढांचे और लोक–कल्याण में लगना चाहिए था, वह दवा कंपनियों की साठगांठ की भेंट चढ़ रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस ओर ध्यान दिलाते हुए इसे श्स्पष्ट रूप से देश और जनता के साथ एक बड़ा फ्रॉडश करार दिया है। इस संदर्भ में एक अहम सुझाव यह भी आया कि क्यों न देश की सभी जीवन रक्षक दवाओं को एक एकीकृत मूल्य–नियंत्रण के दायरे में ला दिया जाए, जिससे जेनेरिक और ब्रांडेड दवाओं का यह पूरा कृत्रिम भ्रम ही समाप्त हो जाए और दवाएं समान दाम पर उपलब्ध हो सकें।

एक तरफ जहां दवाओं के नाम पर यह संस्थागत और कानूनी लूट जारी है, वहीं दूसरी तरफ श्नकली दवाओंश का एक समानांतर और अंडरग्राउंड अंडरवर्ल्ड चल रहा है, जो सीधे मौत का व्यापार कर रहा है। हाल ही में बेंगलुरु में विशेष जांच दल और औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा संयुक्त छापेमारी में एक बहुत बड़े अंतरराज्यीय नकली कैंसर दवा रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। जांच में जो तथ्य सामने आए, वे रोंगटे खड़े करने वाले हैं। वीरेश कुमार जैन नामक एक फार्मासिस्ट की मुख्य संलिप्तता वाले इस गिरोह ने करीब 90 से अधिक प्रतिष्ठित अस्पतालों और क्लीनिकों में पिछले पांच वर्षों से नकली तथा एक्सपायर्ड हो चुकी कैंसर और आईसीयू दवाओं की धड़ल्ले से आपूर्ति की। ये अपराधी एक्सपायर हो चुकी दवाओं को दोबारा प्रोसेस करते थे, उन्हें चमचमाते नए डिब्बों में पैक करते थे, नामचीन अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय फार्मा ब्रांडों के नकली होलोग्राम और लेबल लगाते थे और अस्पतालों के परचेजिंग डिपार्टमेंट को आकर्षित करने के लिए पचास प्रतिशत तक के भारी डिस्काउंट का लालच देते थे। पांच साल तक, यानी कि 1,800 से अधिक दिनों तक अस्पतालों के खरीद तंत्र ने बिना किसी लैब टेस्टिंग या प्रामाणिकता की जांच किए, सिर्फ मुनाफे के लालच में इन नकली दवाओं को खरीदा और उन लाचार मरीजों के जिस्म में कीमोथेरेपी के नाम पर जहर के रूप में उतार दिया जो अपनी जिंदगी की आखिरी उम्मीद लेकर वहां आए थे।

इस घिनौने अपराध की जद सिर्फ बेंगलुरु तक सीमित नहीं हैय इसके तार कर्नाटक से लेकर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र तक फैले हुए हैं। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि नकली दवाओं का नेटवर्क देशव्यापी नेटवर्क बन चुका है। कुछ समय पूर्व नागपुर के सरकारी अस्पताल में भी एक ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया था, जहां मरीजों को दी जाने वाली गोलियों में मुख्य औषधीय साल्ट की जगह साधारण टेलकम पाउडर भरा हुआ था। जब किसी मरीज को एंटीबायोटिक या कैंसर रोधी दवाओं के नाम पर टेलकम पाउडर या चाक की गोलियां दी जाएंगी, तो उसका ठीक होना तो दूर, बीमारी और अधिक आक्रामक होकर उसकी जान ले लेगी। कानून के नजरिए से देखें तो यह धारा 302 यानी सीधे–सीधे हत्या का मामला बनता है, न कि केवल ट्रेडमार्क के उल्लंघन या मिलावट का। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 में कहने को तो आजीवन कारावास और जब्त माल की कीमत का तीन गुना जुर्माने जैसे सख्त कानूनी प्रावधान शामिल किए गए हैं, लेकिन व्यावहारिक धरातल पर अपराधियों को इसका कोई खौफ नजर नहीं आता। वजह साफ हैकृकमजोर लूपहोल्स का फायदा उठाकर अपराधी अक्सर जमानत पर बाहर आ जाते हैं और फिर से अपना वही खूनी कारोबार शुरू कर देते हैं।

यही कारण है कि देश की जनता और न्यायविदों को अब इस भयावह संकट से उबरने के लिए न्यायपालिका की ओर देखना पड़ रहा है। अब जब पानी सिर से ऊपर जा चुका है, तो अदालती हस्तक्षेप ही एकमात्र उम्मीद बची है। अदालतों में दायर हालिया याचिकाओं में यह मांग बिल्कुल जायज है कि नकली और अत्यधिक महंगी दवाओं के मामलों की जांच के लिए तीन महीने की सख्त समय–सीमा तय हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से एक वर्ष के भीतर दोषियों को फांसी या उम्रकैद जैसी नजीर बनने वाली सजाएं दी जाएं। साथ ही, इस धंधे से अर्जित की गई अपराधियों और उनके परिवारों की पूरी चल–अचल संपत्ति को तुरंत कुर्क किया जाना चाहिए। दवा उद्योग को आत्ममंथन करना होगा कि जब आबकारी विभाग अपनी शराब की बोतलों पर क्यूआर कोड और ट्रैक–एंड–ट्रेस मैकेनिज्म लागू करके एक–एक बूंद का हिसाब रख सकता है, तो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया देश की जीवन रक्षक दवाओं के लिए वैसा ही अचूक और फुलप्रूफ डिजिटल बारकोडिंग सिस्टम देशव्यापी स्तर पर अनिवार्य क्यों नहीं कर पा रहा है? शीर्ष 300 ब्रांडों पर क्यूआर कोड का नियम लागू करना एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इसे देश की हर छोटी–बड़ी मेडिकल वाइल और टैबलेट स्ट्रिप पर अनिवार्य करना होगा।

इच्छाशक्ति नहीं दिखाएंगी और स्वास्थ्य को कॉर्पोरेट घरानों के मुनाफे का जरिया बनने से नहीं रोकेंगी, तब तक आम आदमी को न्याय नहीं मिल सकता। फार्मा लॉबी की ताकत के आगे सरकारी अमले की कथित और रहस्यमयी चुप्पी इस बात का संकेत है कि बिना अदालती हंटर के यह तंत्र सुधरने वाला नहीं है। 2,700 की दवा को 27,000 में बेचना अगर डकैती है, तो नकली दवाएं बेचना सीधे–सीधे नरसंहार है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीखें तय कर सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अदालत का यह सख्त रुख देश की नीति–नियंताओं की कुंभकर्णी नींद को तोड़ेगा। देश को अब भाषणों और आश्वासनों की नहीं, बल्कि एक ऐसे कठोर कानून और पारदर्शी मूल्य निर्धारण व्यवस्था की जरूरत है, जहां किसी भी मां, बहन या पिता को पैसे के अभाव में या नकली दवा के जहर के कारण तड़प–तड़प कर दम न तोड़ना पड़े। स्वास्थ्य हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, और इसे मुनाफाखोरों की मंडी बनने से बचाना ही आज के समय की सबसे बड़ी राष्ट्रीय चुनौती है।–(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

दिल मिले या न मिले हाथ मिलाते रहिये!

–पुष्परंजन–

शी के साथ हुई ट्रंप की मुलाकात का शायद ही कोई ठोस नतीजा निकले। पहले कार्यकाल में उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग–उन के साथ उनकी हाई–प्रोफाइल मुलाकात और अलास्का में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हुई मुलाकात में तस्वीरों के अलावा कुछ खघस हासिल नहीं हुआय इन तस्वीरों में वे उन मजबूत नेताओं के साथ दिखते हैं, जिन्हें वे शायद ही पसंद करते हों। चीन और अमेरिका के बीच अभी सब कुछ मीठा–मीठा गप–गप चल रहा है। चीनी राष्ट्रपति शी का स्वागत लाजवाब था। ट्रंप खुद उनसे मिलने मिलिट्री एयरस्ट्रिप पर पहुंचे। यह प्रोटोकॉल से हटकर एक खघस कदम था। ऐसी आवभगत शी ने अमेरिकी राष्ट्रपति की पेइचिंग यात्रा के दौरान नहीं की थी। चीनी मीडिया फूले नहीं समा रहा है। ग्लोबल टाइम्स का संपादकीय है, 'दोनों नेता रणनीतिक स्थिरता वाले चीन–अमेरिका संबंध बनाने की नई सोच पर सहमत हुए। उन्होंने अगले तीन वर्षों और उसके बाद के लिए चीन–अमेरिका संबंधों को रणनीतिक दिशा दी, जिसका दोनों देशों की जनता और अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने व्यापक रूप से स्वागत किया है।' सोचिए, ऐसे संपादकीय से पुतिन पर क्या गुजर रही होगी।

अमेरिकी राष्ट्रपति आमतौर पर किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष का स्वागत करने एयरपोर्ट नहीं जाते हैं। यह बहुत दुर्लभ है। 11 अक्तूबर, 1949 को वॉशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट पर तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी एस. ट्रूमैन ने हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का स्वागत किया था। इस तरह का एयरपोर्ट स्वागत 1962 के बाद बेहद चुनिंदा मौकों पर ही देखने को मिला है। पीएम मोदी तक को पंडित नेहरू और शी जैसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है।

जब जापानी प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने मार्च, 2026 में पहली बार वॉशिंगटन का दौरा किया, तो ट्रंप के साथ बातचीत के लिए व्हाइट हाउस जाने से पहले, जॉइंट बेस एंड्रयूज पर अमेरिकी वायु सेना के कर्नल गैरी चारलैंड ने उनका स्वागत किया था। इस हफ्ते, वॉशिंगटन में शी के आगमन से एक दिन पहले, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान तकाइची फिर से ट्रंप से मिलीं। चीनी मीडिया का कटाक्ष था कि जापानी अधिकारियों ने उनका स्वागत कियाकृलेकिन वहां कोई रेड कार्पेट, प्रोटोकॉल डेलिगेशन या अमेरिकी अधिकारी मौजूद नहीं थे। बुधवार को वॉशिंगटन में शी के ग्रैंड वेलकम की खघबर चीनी सरकारी मीडिया की सुर्खियों में थी। ट्रंप द्वारा चीनी नेता का रेड–कार्पेट स्वागत करते हुए तस्वीरें और फुटेज दिखाए गए। एयरबेस पर गार्ड ऑफ ऑनर, मिलिट्री बैंड, 21–गन सैल्यूट और जेट फ्लाईपास्ट शामिल थे। इसके उलट, अमेरिकी मीडिया में शी के आगमन की कवरेज उतनी ज्यादा नहीं थी, क्योंकि बड़े टेलीविजन नेटवर्क का व्हाइट हाउस के साथ गतिरोध चल रहा है। व्हाइट हाउस पूल में शामिल नेटवर्ककृजिनमें एबीसी, सीबीएस, सीएनएन, फॉक्स न्यूज और एनबीसी शामिल हैंकृने प्रशासन द्वारा सीएनएन समेत कई मीडिया आउटलेट्स पर लगाए गए प्रतिबंध के विरोध में ट्रंप के सार्वजनिक कार्यक्रमों की कवरेज का बहिष्कार किया है।

अमेरिकी थिंक टैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यह शिखर बैठक मुख्य रूप से कूटनीतिक दिखावे तक ही सीमित रहेगी। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बुधवार को कहा कि बुसान समझौते की नवंबर वाली समय–सीमा को बढ़ाकर 10 जनवरी, 2027 कर दिया जाएगा। यह व्यापारिक युद्धविराम अक्तूबर–नवंबर, 2025 में दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित एक शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच तय हुआ था। बुसान समझौते की अवधि 10 नवंबर, 2026 को समाप्त होने वाली थी। फिर भी, यह बात सभी मानते हैं कि यह शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसका विफल होना ठीक नहीं होगा।

3 नवंबर, 2026 को अमेरिका में मध्यावधि चुनाव हैं। कमेटी ऑफ 100 के एक सर्वे से पता चलता है कि 54 प्रतिशत चीनी–अमेरिकी खुद को डेमोक्रेट और 28 प्रतिशत रिपब्लिकन मानते हैं। शी की यात्रा इसलिए भी मायने रखती है। रिपब्लिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान होने वाले इन मध्यावधि चुनावों में, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की सभी 435 सीटों और सीनेट की 100 में से 35 सीटों पर चुनाव होंगे, जिससे 120वीं अमेरिकी कांग्रेस का चयन होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसलिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में ईरान से रफाकघ्त (मेलजोल) या मिटा देने की अदावत दोनों ही मंशाकृस्पष्ट कर दी। लेकिन, ईरान से पीस डील में पाकिस्तान का प्रयास एक 'फेल्ड स्टोरी' माना जाएगा। पाकिस्तान ऐतिहासिक रूप से सऊदी अरब और अमेरिका के करीब रहा है, जो ईरान के प्रतिद्वंद्वी हैं।

कैंपस में बुझती जिंदगियों पर चुप्पी

– डॉ. प्रियंका सौरभ–

आईआईटी बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोडे की मौत ने देश के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों की चमकदार इमारतों के पीछे छिपे एक गंभीर सवाल को फिर सामने ला खड़ा किया हैकृक्या हमारे उच्च शिक्षण संस्थान प्रतिभा को केवल परख रहे हैं, या उसे संभालने की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं? साहिल की मृत्यु की परिस्थितियों की जांच अभी जारी है। इसलिए इस समय किसी एक व्यक्ति, घटना या कथित भेदभाव को उनकी आत्महत्या का अंतिम कारण घोषित करना उचित नहीं होगा। उनके परिजनों ने जातिगत भेदभाव और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं, जबकि संस्थान की ओर से कहा गया है कि उसे ऐसी कोई औपचारिक शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। ऐसे में सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता निष्पक्ष और पारदर्शी जांच से ही होकर गुजरना चाहिए। लेकिन जांच के निष्कर्ष का इंतजार करते हुए भी एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा हैकृआखिर देश के प्रतिभाशाली युवा इतनी बड़ी संख्या में अपनी जिंदगी क्यों समाप्त कर रहे हैं?

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े इस संकट की गंभीरता की ओर संकेत करते हैं। 2013 में देश में छात्रों द्वारा आत्महत्या के 8,423 मामले दर्ज हुए थे। 2023 में यह संख्या बढ़कर 13,892 और 2024 में 14,488 तक पहुंच गई। यानी एक दशक से अधिक समय में दर्ज मामलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हालांकि इन आंकड़ों को केवल संख्या के रूप में देखकर निष्कर्ष निकालना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि इस अवधि में विद्यार्थियों की कुल आबादी और उच्च शिक्षा में नामांकन भी बढ़ा है। इसलिए छात्र आबादी के अनुपात में आत्महत्या की दर, आयु, लिंग, सामाजिक पृष्ठभूमि, संस्थान, पाठ्यक्रम और क्षेत्र के आधार पर विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है। फिर भी इतना स्पष्ट है कि छात्र आत्महत्या अब व्यक्तिगत घटनाओं की अलग–अलग खबर नहीं रह गई है, बल्कि यह राष्ट्रीय चिंता का विषय बन चुकी है।

आईआईटी जैसे संस्थानों में यह सवाल और गंभीर हो जाता है। शिक्षा मंत्रालय ने संसद में बताया था कि 2018 से 2023 के बीच आईआईटी परिसरों में 39 छात्रों की आत्महत्या से मृत्यु हुई। दूसरी ओर, अलग–अलग आरटीआई प्रतिक्रियाओं और मीडिया रिपोर्टों पर आधारित संकलनों में इससे अधिक संख्या सामने आती रही है। अलग–अलग स्रोतों में संख्या अलग होने का एक कारण यह भी है कि उनकी समयावधि, परिभाषा और डेटा–संग्रह की पद्धति समान नहीं है। इसलिए किसी एक आंकड़े को अंतिम सत्य मानने के बजाय सरकारी रिकॉर्ड, संस्थागत रिकॉर्ड और स्वतंत्र अध्ययनों को एक साथ रखकर राष्ट्रीय स्तर पर विश्वसनीय डेटाबेस तैयार किया जाना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होता, बहस आंकड़ों और दावों के बीच उलझती रहेगी और समस्या की वास्तविक तस्वीर सामने नहीं आ पाएगी।

इस पूरी बहस में सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। आईआईटी और अन्य केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी विद्यार्थियों से जुड़े भेदभाव, सामाजिक अलगाव, अकादमिक दबाव और ड्रॉपआउट की घटनाओं पर समय–समय पर सवाल उठते रहे हैं। सोशल मीडिया और सार्वजनिक बहस में छात्रों की आत्महत्याओं में किसी एक सामाजिक वर्ग की बहुत बड़ी हिस्सेदारी के दावे भी किए जाते हैं, लेकिन ऐसे दावों को प्रमाणित सरकारी डेटा, स्पष्ट समयावधि और विश्वसनीय अध्ययन के बिना अंतिम तथ्य मान लेना उचित नहीं है। फिर भी यदि किसी विद्यार्थी को उसकी जाति, वर्ग, भाषा, क्षेत्र, आर्थिक स्थिति या किसी अन्य सामाजिक पहचान के कारण अतिरिक्त मानसिक दबाव या भेदभाव झेलना पड़ता है, तो यह शिक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर चेतावनी है। प्रतिभा का मूल्यांकन विद्यार्थी की क्षमता से होना चाहिए, उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि से नहीं।

साथ ही यह भी समझना होगा कि हर आत्महत्या का कारण केवल भेदभाव या संस्थागत उत्पीड़न नहीं होता। कई बार परीक्षा और प्रदर्शन का दबाव, असफलता का भय, परिवार की अपेक्षाएं, आर्थिक कठिनाइयां, अकेलापन, रिश्तों से जुड़ी समस्याएं, भविष्य की चिंता और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां एक साथ काम करती हैं। कई मामलों में कारणों की पूरी श्रृंखला घटना के बाद भी स्पष्ट नहीं हो पाती। इसलिए किसी भी छात्र की मृत्यु को केवल एक कारण से जोड़ देना उतना ही खतरनाक है जितना संस्थागत समस्याओं की संभावना को पूरी तरह नकार देना। आवश्यकता इस बात की है कि हर घटना की स्वतंत्र, संवेदनशील और वैज्ञानिक तरीके से कारण–पड़ताल हो और उसके निष्कर्षों को संस्थागत सुधार से जोड़ा जाए।

उच्च शिक्षण संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य को अब वैकल्पिक सुविधा नहीं, बल्कि मूलभूत संस्थागत जिम्मेदारी मानना होगा। केवल काउंसलिंग सेंटर का बोर्ड लगा देना पर्याप्त नहीं है। विद्यार्थियों के लिए आसानी से उपलब्ध और गोपनीय मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं, प्रशिक्षित काउंसलर, संवेदनशील वार्डन, प्रशिक्षित फैकल्टी मेंटर, भरोसेमंद शिकायत प्रणाली और समयबद्ध शिकायत–निवारण व्यवस्था जरूरी है।

जीआईसी में 70वीं प्रदेशीय कुश्ती प्रतियोगिता शुरूः कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया शुभारंभ

संवाददाता–देवरिया। राजकीय इंटर कॉलेज (जीआईसी) में शुक्रवार को 70वीं प्रदेशीय माध्यमिक विद्यालयीय कुश्ती प्रतियोगिता शुरू हुई। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 18 मंडलों से करीब 800 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। बारिश के कारण उद्घाटन कार्यक्रम करीब दो घंटे देरी से दोपहर दो बजे शुरू हो पाया। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दीप जलाकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उद्घाटन के बाद प्रदेश के अलग–अलग मंडलों से आए खिलाड़ियों ने कुश्ती मैट पर अपने दांव दिखाए। खिलाड़ियों के ठहरने के लिए जिले के छह स्कूलों में इंतजाम किए गए हैं। 18 मंडलों के 800 खिलाड़ी पहुंचे 25 से 29 सितंबर तक चलने वाली प्रदेशीय माध्यमिक विद्यालयीय कुश्ती प्रतियोगिता में 18 मंडलों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा गोरखपुर और सैफई के स्पोर्ट्स कॉलेजों के खिलाड़ी भी प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे हैं। मंडलीय प्रतियोगिताओं में विजेता रहे 14, 17 और 19 वर्ष आयु वर्ग के बालक–बालिका खिलाड़ियों को इसमें हिस्सा लेने का मौका मिला है।

प्रतियोगिता के लिए जीआईसी परिसर में विशेष कुश्ती मैट बिछाए गए हैं। अलग–अलग आयु वर्ग और कुश्ती की श्रेणियों में खिलाड़ियों के मुकाबले कराए जा रहे हैं। दूसरे जिलों और मंडलों से पहुंचे खिलाड़ियों के लिए आवास, भोजन और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। छह विद्यालयों में खिलाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। शुक्रवार सुबह बारिश होने के कारण उद्घाटन कार्यक्रम निर्धारित समय पर शुरू नहीं हो सका। बारिश के चलते कार्यक्रम करीब दो घंटे देर से शुरू हुआ और दोपहर दो बजे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उद्घाटन समारोह में खिलाड़ियों और खेल शिक्षकों के साथ शिक्षा विभाग के अधिकारी और आयोजन से जुड़े लोग मौजूद रहे। बारिश के बावजूद खिलाड़ियों में प्रतियोगिता को लेकर उत्साह दिखाई दिया। आयोजन स्थल पर प्रतियोगिता को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई हैं। आयोजन से पहले खिलाड़ियों के आने–जाने और ठहरने को लेकर भी व्यवस्था बनाई गई है। बाहर से आने वाले खिलाड़ियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए संबंधित विद्यालयों में जिम्मेदारियां तय की गई हैं।

वैदिक वंदना और सांस्कृतिक कार्यक्रम से सजा मंच उद्घाटन समारोह की शुरुआत श्री बैकुंठनाथ पवहारी संस्कृत महाविद्यालय, बैकुंठपुर के छात्रों ने वैदिक सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर की। इसके बाद कस्तूरबा गांधी बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। महाराजा अग्रसेन बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर समारोह में रंग भर दिया। उद्घाटन के बाद खिलाड़ियों का ध्यान सीधे प्रतियोगिता की ओर रहा। विशेष मैट पर विभिन्न आयु वर्ग के खिलाड़ियों के मुकाबले शुरू हुए। प्रतियोगिता 29 सितंबर तक चलेगी। आयोजन स्थल पर खिलाड़ियों के साथ उनके प्रशिक्षकों और खेल शिक्षकों की भी मौजूदगी है।

खिलाड़ियों की सुविधाओं पर फोकस प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में खिलाड़ियों के शामिल होने को देखते हुए उनके ठहरने के लिए छह विद्यालयों को चिन्हित किया गया है। खिलाड़ियों के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। प्रतियोगिता के दौरान सुरक्षा, साफ–सफाई, पेयजल और चिकित्सा जैसी व्यवस्थाओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश के अलग–अलग मंडलों से आए करीब 800 खिलाड़ियों के बीच होने वाले मुकाबले अगले चार दिनों तक चलेंगे। आयोजन स्थल पर खिलाड़ी अपने–अपने वर्ग में प्रदर्शन कर आगे बढ़ने के लिए मुकाबला करेंगे। प्रतियोगिता के समापन के बाद विभिन्न वर्गों में विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।

वन्देमातरम् के 150 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यक्रम आयोजित

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। स्थानीय सरस्वती शिशु मंदिर, रामबाग में राष्ट्रगीत 'वन्देमातर' के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भैया–बहिनों, आचार्य बंधुओं, आचार्य भगिनियों एवं कर्मचारियों द्वारा एक समय, एक लय एवं एक स्वर में वन्देमातरम् का सामूहिक गायन किया गया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक ऋषिदीप, विशिष्ट अतिथि प्रहलाद मोदी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता भावेश पाण्डेय तथा अध्यक्ष के रूप में डॉ. ए.के. सिंह उपस्थित रहे।

मुख्य अतिथि ऋषिदीप ने अपने उद्बोधन में कहा कि वन्देमातरम् केवल शब्दों का एक सामान्य गीत नहीं है, अपितु यह प्राचीन काल से चला आ रहा एक शाश्वत स्वर है जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों के उत्साह और देशभक्ति का अमर गान रहा है। यह गान अभी अपने मूलस्वरूप में बहुतायत भारतीयों द्वारा गाया जाता है। वन्देमातरम् भारतमाता के व्यापक स्वरूप और राष्ट्रीय एकता को प्रतिबिम्बित करता है।

विशिष्ट अतिथि भावेश पाण्डेय ने बच्चों से कहा कि आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि वन्देमातरम् के 150 वर्ष पूर्ण होने के कार्यक्रम मनाने के साथ 200वीं जयंती मनाने के भी साक्षी बनेंगे। उन्होंने कहा कि यह गीत भारत माता की वन्दना है।

विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रमोद श्रीवास्तव ने अतिथियों का परिचय कराया। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी को अपने पूर्वजों के कृतित्व याद के साथ भारत माता के स्वरूप को अमिट व अक्षुण्य रखना है।वन्देमातरम् उसी को याद करने व गर्व महसूस करने वाला गान है।

कार्यक्रम का संचालन अजय द्विवेदी, हरिहरनाथ पांडे व आभार श्रीमती ममता शुक्ला जी द्वारा किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के वरिष्ठ आचार्य श्री अच्युतानंद , करुणाकर, राजकिशोर एवं आचार्या श्रीमती बिंदु शुक्ला, श्रीमती पूजा सिंह,श्रीमती शिवांगी जी,श्रीमती गरिमा जी व आचार्य परिवार, कर्मचारीगण एवं छात्र–छात्राएँ उपस्थित रहे।

गन्ने के खेत में छिपे तेंदुए ने बकरी का किया शिकार

संवाददाता–महराजगंज। सोहगीबरवा वन्य जीव प्रभाग के निचलौल वन रेंज के ग्राम बैदौली के टोला छोटकीबारी में शुक्रवार को गन्ने के खेत में घात लगाए बैठे तेंदुए ने एक बकरी का शिकार कर लिया। बकरी चरा रही महिलाओं के शोर मचाने पर तेंदुआ बकरी को छोड़कर गन्ने के खेत में जाकर छिप गया। इस दौरान तेंदुए के हमले से बकरी की मौत हो गई। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। इस गांव की निवासी सुनीता देवी पत्नी शंभू ने बताया कि वह अपनी बकरियों को नहर की तरफ चराने के बाद घर लौट रही थीं। इस दौरान रास्ते में गन्ने के खेत में छिपे तेंदुए ने अचानक झपट्टा मारकर एक बकरी को दबोच लिया। तेंदुआ बकरी को खींचकर गन्ने के खेत में ले जाने लगा। शोर मचाने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों के शोर मचाने पर तेंदुआ बकरी को छोड़कर गन्ने के खेत के अंदर चला गया। इसकी सूचना मिलने पर वन विभाग और डब्ल्यूटीआई की टीम मौके पर पहुंची। वन दरोगा तथा डब्ल्यूटीआई टीम के अरशद हुसैन और रविंद्र तिवारी ने ग्रामीणों को तेंदुए की मौजूदगी को लेकर सतर्क रहने की जानकारी दी। टीम ने लोगों को गन्ने के खेतों के आसपास अकेले न जाने और सावधानी बरतने की अपील की। घटना के बाद ग्रामीणों में तेंदुए को लेकर भय बना हुआ है।

झमाझम बारिश से उफनाईं नदियां, वाल्मीकिनगर बैराज से डिस्चार्ज 1.29 लाख क्यूसेक पार

संवाददाता–महराजगंज। बंगाल की खाड़ी में बने अवदाब के प्रभाव से जिले में हुई झमाझम बारिश और पड़ोसी पर्वतीय क्षेत्रों के पानी से नदियों का जलस्तर तेजी से चढ़ने लगा है। शुक्रवार की शाम पांच बजे जारी बाढ़ नियंत्रण कक्ष से जारी रिपोर्ट के अनुसार गंडक बैराज वाल्मीकिनगर से डिस्चार्ज बढ़कर 1 लाख 29 हजार क्यूसेक तक पहुंच गया है। मौसम विभाग व प्रशासन ने जिले में आकस्मिक बाढ़ की चेतावनी जारी करते हुए नदी–नालों से दूरी बनाने की अपील की है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष के आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार सुबह मपहीज बजे तक जिले में 53 मिमी व बी–गैप क्षेत्र में 79 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। 24 घंटे के भीतर नदियों के जलस्तर और डिस्चार्ज में भारी उछाल आया है। वाल्मीकिनगर बैराज का डिस्चार्ज गुरुवार को जहां 56 हजार क्यूसेक था वह शुक्रवार सुबह मपहीज बजे 79 हजार 700 क्यूसेक, सायं चार बजे बढ़कर 1 लाख 21 हजार 500 क्यूसेक व सायं पांच बजे 1.29 लाख क्यूसेक पहुंच गया। गंडक नदी में लगातार पानी बढ़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक महाव नाला का जलस्तर उछाल मारकर 9 फीट 6 इंच पर पहुंच गया है। यह इसके खतरे के निशान 5 फीट से साढ़े चार फीट ऊपर है। वहीं पहाड़ी नदी प्यास का जलस्तर 101.80 मीटर दर्ज किया गया है। यह खतरे के निशान 102.25 मीटर के करीब पहुंच रहा है।

धानी क्षेत्र में रिगौली बांध पर राप्ती नदी का जलस्तर बढ़कर 76.85 मीटर पर पहुंच गया है। सदर क्षेत्र के त्रिमुहानी घाट पर रोहिन नदी का जलस्तर 78.48 मीटर व ठूठीबारी क्षेत्र में चंदन नदी का जलस्तर 99.65 मीटर दर्ज किया गया है। कंट्रोल रूम के अनुसार जनपद व नेपाल सीमा के सभी तटबंध फिलहाल पूरी तरह सुरक्षित हैं। मौसम में आए इस बदलाव और मूसलाधार बारिश के चलते पूर्वांचल के अन्य जनपदों गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर के साथ–साथ महराजगंज जिले के कई जलभराव वाले क्षेत्रों में 26 सितंबर को आकस्मिक बाढ़ आने की आशंका जताई गई है। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे सतर्क रहें। उफनाते नदी–नालों व जलभराव वाले इलाकों से दूर रहें तथा जारी दिशा–निर्देशों का पालन करें।

तीन दिन हड़ताल, एक दिन छुट्टी चार दिन बैंकिंग कामकाज ठप

संवाददाता–महराजगंज। बैंक कर्मचारी यूनियनों की देशव्यापी हड़ताल के आह्वान के चलते जिले में 28 से 30 सितंबर तक बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर प्रस्तावित तीन दिवसीय हड़ताल को देखते हुए बैंकों ने ग्राहकों को जरूरी लेनदेन पहले ही निपटाने की सलाह दी है। वहीं, 26 सितंबर को चौथा शनिवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे। हड़ताल के मद्देनजर 27 सितंबर रविवार को बैंक शाखाएं खोलने का निर्देश दिया गया है। लगातार चार दिनों तक बैंकिंग कार्य प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए खाताधारकों से समय रहते जरूरी कार्य पूरा करने की अपील की गई है। बैंक प्रबंधन के मुताबिक शाखाओं और कार्यालयों में आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन हड़ताल के दौरान कुछ सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। अग्रणी जिला बैंक के मुख्य प्रबंधक भूपेंद्र मिश्रा ने बताया कि खाताधारक बैंक से संबंधित जरूरी कार्य पहले ही निपटा लें। उन्होंने बताया कि हड़ताल के दौरान ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं जारी रहेंगी। ग्राहक यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और अन्य डिजिटल माध्यमों से लेनदेन कर सकेंगे.

हड़ताल के दौरान ग्राहक एटीएम और एडीडब्ल्यूएम से नगदी निकाल सकेंगे। हालांकि तकनीकी खराबी या नगदी उपलब्धता कम होने पर परेशानी हो सकती है। ऐसे में ग्राहकों को जरूरत के अनुसार पहले से नगदी की व्यवस्था रखने की सलाह दी गई है। शाखाओं में कामकाज प्रभावित होने के बावजूद डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के जरिए कई जरूरी कार्य किए जा सकेंगे। ग्राहक योनो, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई समेत अन्य डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

हड़ताल के दौरान चेक जमा करने, क्लियरेंस, नकदी जमा–निकासी समेत शाखा से जुड़े कई कार्य प्रभावित हो सकते हैं। जिन ग्राहकों के भुगतान की अंतिम तिथि नजदीक है, उन्हें समय रहते बैंकिंग प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है। पेंशन, पासबुक अपडेट, खाते से संबंधित जानकारी और अन्य शाखा संबंधी कार्य कराने वाले ग्राहकों को 27 सितंबर को ही जरूरी काम निपटाने की सलाह दी गई है। हड़ताल के दौरान शाखाओं में प्रत्यक्ष रूप से होने वाले कार्य प्रभावित हो सकते हैं। ऋण की किस्त, बीमा प्रीमियम, शुल्क अथवा अन्य निर्धारित भुगतान की तारीख हड़ताल के दौरान पड़ने पर ग्राहक डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंक ने ग्राहकों को भुगतान की समयसीमा का पहले से ध्यान रखने की सलाह दी है। बैंकों में जरूरी लेनदेन है तो दो दिन में निपटा लें। 26 सितंबर को शनिवार का अवकाश रहेगा, जबकि 27 सितंबर रविवार को बैंक खुलेंगे। इसके बाद 28 से 30 सितंबर तक तीन दिवसीय देशव्यापी हड़ताल के चलते बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी। हड़ताल के दौरान नकदी जमा–निकासी, चेक संबंधी कार्य और अन्य बैंकिंग प्रक्रियाएं प्रभावित हो सकती हैं। इससे व्यापारियों और संस्थानों के नियमित बैंकिंग कार्यों पर भी असर पड़ सकता है। डिजिटल भुगतान माध्यमों से होने वाले लेन–देन जारी रहेंगे। बैंक ग्राहकों को सलाह दी गई है कि शाखा जाने से पहले यह देख लें कि संबंधित कार्य मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई या अन्य डिजिटल माध्यम से किया जा सकता है या नहीं। इससे शाखा में अनावश्यक भीड़ और परेशानी से बचा जा सकता है।

पोषण जागरूकता कार्यक्रम में 40 आंगनबाड़ी कार्यकत्री–आशा सम्मानित

संवाददाता–देवरिया। 'सेवा संकल्प अभियान–2026' के तहत राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान शुक्रवार को तरकुलवा में 'आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम' हुआ। बाल विकास परियोजना पथरदेवा, तरकुलवा और देसही देवरिया ने मिलकर यह कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने महिलाओं और परिवारों को पोषण, स्वास्थ्य और साफ–सफाई के बारे में जागरूक किया। कृषि मंत्री ने कहा कि बच्चों के सही और स्वस्थ विकास के लिए पोषण पर खास ध्यान देना जरूरी है। गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं और बच्चों को अच्छा खाना और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं को घर–घर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। उनके जरिए महिलाओं और बच्चों को पोषण, स्वास्थ्य, साफ–सफाई और दूसरी सरकारी योजनाओं की जानकारी मिल रही है। मंत्री शाही ने यह भी कहा कि सिर्फ योजनाएं चलाना काफी नहीं है, बल्कि उनका फायदा हर सही लाभार्थी तक पहुंचना भी जरूरी है। कुपोषण से बचने के लिए परिवार और समाज की भागीदारी बहुत अहम है। माताओं को बच्चों के खाने–पीने, साफ–सफाई और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए। साथ ही, आंगनबाड़ी केंद्रों से मिलने वाली सेवाओं का नियमित रूप से फायदा उठाना चाहिए। इस कार्यक्रम में 20 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और 20 आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। महिलाओं और दूसरे लाभार्थियों को संतुलित भोजन, मां और बच्चे के स्वास्थ्य, साफ–सफाई और बच्चों के पूरे विकास के बारे में बताया गया। बाल विकास विभाग समेत दूसरे विभागों की सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम का मकसद आंगनबाड़ी केंद्रों को माताओं और परिवारों से सीधे जोड़ना और समाज की भागीदारी बढ़ाना था। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख सुब्रत शाही, पथरदेवा, तरकुलवा और देसही देवरिया के ब्लॉक प्रमुख, संबंधित विभागों के अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता–सहायिकाएं और बड़ी संख्या में लाभार्थी महिलाएं व ग्रामीण मौजूद थे।

बृजभूषण के खिलाफ फिर 4 महिला पहलवान कोर्ट पहुंची बोलीं– निचली अदालत ने सबूत नजरअंदाज किए

संवाददाता–गोण्डा। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की एक बार फिर मुश्किलें बढ़ गई हैं। शुक्रवार को यौन शोषण केस में चार महिला पहलवानों ने दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में अपील दाखिल की है। पहलवानों ने 53 दिन पहले आए लोअर कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें बृजभूषण और सह आरोपी विनोद तोमर को बरी कर दिया गया था। मामले की सुनवाई शनिवार, 26 सितंबर को स्पेशल जज दिगविनय सिंह की अदालत में होगी। यह मामला 2023 में सामने आया था। 6 महिला पहलवानों ने बृजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। इसमें एक नाबालिग थी। एफआईआर नहीं होने पर पहलवानों ने दिल्ली के जंतर–मंतर पर प्रदर्शन किया था। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद अप्रैल 2023 में थ्प् दर्ज की गई। बाद में नाबालिग पहलवान ने शिकायत वापस ले ली थी। दिल्ली पुलिस ने जांच के बाद अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। 3 अगस्त 2026 को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार की अदालत ने बृजभूषण सिंह और विनोद तोमर को यौन शोषण केस से बरी कर दिया था। महिला पहलवानों ने याचिका में कहा कि निचली अदालत का फैसला कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। इसमें रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों का स्पष्ट रूप से गलत और चुनिंदा तरीके से आकलन किया गया है। निचली अदालत का फैसला अनुमान और अटकलों पर आधारित है। इसमें कानून के स्थापित और बाध्यकारी सिद्धांतों को लागू नहीं किया गया। फैसले में यौन उत्पीड़न की पीड़िताओं के 'अपेक्षित' व्यवहार को लेकर पुरानी और रूढ़िवादी धारणाओं को आधार बनाया गया, जबकि पीड़िताओं की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सबूतों का निष्पक्ष और तथ्यपरक आकलन किया जाना चाहिए था।

एसीजेएम ने अपने फैसले में पीड़िताओं की लंबे समय तक चुप्पी, आरोपी के साथ उनके लगातार मधुर संबंध और बयानों में विरोधाभास को अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह पैदा करने वाले आधार के रूप में देखा था। अदालत ने कहा था कि रिकॉर्ड पर मौजूद कई तस्वीरों से पता चलता है कि आरोपी को पीड़िताओं ने पारिवारिक कार्यक्रमों और शादी समारोहों में भी आमंत्रित किया था। अदालत ने यह भी कहा था कि यह बात समझ में आती है कि तत्कालीन ब्लूएफआई अध्यक्ष होने के नाते सिंह के खिलाफ शिकायत करने पर महिला पहलवानों को अपने करियर को नुकसान पहुंचने का डर रहा होगा। हालांकि, अदालत के मुताबिक यह समझना मुश्किल था कि इसके बावजूद उन्होंने वर्षों तक सिंह के साथ मधुर संबंध क्यों बनाए रखे। बृजभूषण को बरी किए जाने पर विनेश ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा था– ष्हमें सड़क पर उतरने और सत्ताधारी पार्टी के एक बाहुबली नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी थी। सत्ता और अपने बाहुबल के दम पर बृजभूषण ने कई लड़कियों को डराकर उनके नाम वापस करवाए हैं। पर कई महिला पहलवान खड़ी रहीं और कोर्ट में बृजभूषण के खिलाफ लड़ाई लड़ती रहीं। हमें इस बात का बहुत दुख है कि अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन हिंसा के आरोपों में दोषी नहीं माना। शुरू दिन से ही सारा तंत्र, सरकार और ये सिस्टम बृजभूषण को बचाने के लिए लगा हुआ है।

दो हत्यारोपितों को आजीवन कारावास

संवाददाता–महराजगंज। पनियरा थाना क्षेत्र के माधोनगर गांव में वर्ष 2017 में हुए हत्याकांड के आरोपित पिंटू उर्फ विनोद तथा मनोज कुमार सिंह को अपर सत्र न्यायाधीश संजय मिश्रा ने दोष सिद्ध करार दिया है। दोनों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 10–10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार थाना पनियरा अंतर्गत माधोपुर गांव में स्थित बगीचे में 2 जुलाई–2017 को घूरा देवी कटहल का फल तुड़वा रही थी। इसी बीच पिंटू उर्फ विनोद मौर्य पुत्र शिव शंकर मौर्य बगीचे में आकर अपने हिस्से के कटहल के लिए झगड़ा करने लगा। इस पर घूरा देवी ने कहा कि बच्चों के शादी विवाह के बाद बंटवारा होगा, खाने–पीने के लिए अभी ले जाओ। इस पर पिंटू उर्फ विनोद मौर्य पुत्र शिव शंकर मौर्य अपने साथ मनोज कुमार सिंह पुत्र उदय शंकर सिंह निवासी सतगुर मुजरी चौराहा के साथ इनोवा गाड़ी से बगीचे में आया तथा भूरा देवी से दुबारा झगड़ा करने लगा। पूरे परिवार की हत्या करने की धमकी देते हुए भूरा देवी को गोली मार दी। मृतका के पुत्र की तहरीर पर थाना पनियरा ने मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना के पश्चात पिंटू उर्फ विनोद मौर्य, मनोज कुमार सिंह, लवकुश यादव के विरुद्ध हत्या के आरोप में आरोपपत्र न्यायालय समझ प्रस्तुत किया। न्यायिक परीक्षण के दौरान लवकुश यादव पर हत्या का आरोप सिद्ध न हो सका। मुकदमे के परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश संजय मिश्रा ने अभिलेखीय साक्ष्यों, गवाहों तथा लोक अभियोजक अजीत सिंह व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद सजा सुनाई।

जिला जज सहित अफसरों ने बैरक से लेकर जेल रसोई तक का लिया जायजा

संवाददाता–महराजगंज। जिला जज अरविंद मालिक, जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल और पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने शुक्रवार को जिला जेल का त्रैमासिक निरीक्षण किया। इस दौरान बैरक से लेकर जेल रसोई तक का जायजा लिया गया। जेल प्रशासन को सुरक्षा को लेकर जरूरी निर्देश दिए गए।

जिला जज ने जेल निरीक्षण के दौरान जेल के पुरुष बैरक, महिला बैरक, रसोई व जेल परिसर आदि का निरीक्षण किया। उन्होंने बंदियों से वार्ता कर उनकी समस्यायों को सुना तथा उनके निस्तारण के लिए जेल प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिया। जिला न्यायाधीश ने मौजूद सभी जेलकर्मियों को निर्देशित किया कि सभी बंदियों को जेल मैन्युअल के अनुसार आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों।

आवश्यकतानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ समन्वय करते हुए बंदियों को विधिक सहायता उपलब्ध कराएं। उन्होंने बीमार बंदियों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण का निर्देश देते हुए कहा कि बंदियों को उचित चिकित्सा सेवा जेल प्रशासन उपलब्ध कराए।

जिला जज ने महिलाओं और बच्चों के मामले में विशेष संवेदनशीलता के साथ काम करने का निर्देश दिया। कहा कि उनके लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन कर कुछ रचनात्मक गतिविधि कराएं। डीएम ने जिला जज के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जेल अधीक्षक को निर्देशित किया। एसपी ने जिला कारागार अधीक्षक को निर्देशित किया कि नियमित रूप से कारागार का निरीक्षण करते रहें। शातिर किस्म के बंदियों पर विशेष सतर्क दृष्टि रखें। निरीक्षण के दौरान बंदियों के सामानों की जांच भी गई। किसी बंदी के पास कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। निरीक्षण के दौरान जेल अधीक्षक बीके गौतम, उपायुक्त उद्योग नीरज सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

आस्था के साथ हुआ गणेश चतुर्दशी पर्व का समापन, विसर्जित की गई प्रतिमाएं

संवाददाता–बलरामपुर। लगातार हो रही बारिश के बीच भी श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह में कोई कमी नहीं आई। तीन दिवसीय गणेश चतुर्दशी पर्व का समापन शुक्रवार को गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ हुआ। विसर्जन से एक दिन पहले शुरू हुई बारिश विसर्जन के दिन भी जारी रही, इसके बावजूद श्रद्धालु पूजा–अर्चना और भंडारे में जुटे रहे। श्री गणेश पूजा समिति किला बाजार और देवीपाटन क्षेत्र में स्थापित गणेश प्रतिमाओं के पंडालों में विधि–विधान से पूजा–अर्चना की गई। बारिश के बीच भंडारे का आयोजन कर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। गणपति बप्पा के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। पूजा और भंडारे के बाद श्रद्धालु गणेश प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए

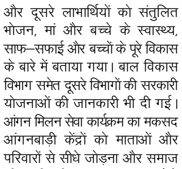

लेकर देवीपाटन स्थित सिरिया नदी घाट पहुंचे। शासन–प्रशासन की निगरानी में शांतिपूर्ण ढंग से प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ के जयकारे लगाए। व्यवस्था में राहुल गुप्ता, शिवम गुप्ता, रवि कौशल, जमुना चौरसिया, मनोज पटवा, राजन पटवा, सुधीर मोदनवाल, अशोक पटवा, रवि पटवा और आशीष पंडित सहित समिति के लोग सक्रिय रहे।शोभायात्रा के दौरान श्रद्धालु गणपति बप्पा के जयकारे लगाते रहे, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय रहा। ग्रामीणों ने जगह–जगह गणेश प्रतिमा के दर्शन कर पूजा–अर्चना की। श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का भी वितरण किया गया। सीरिया नदी तट पर पहुंचने के बाद श्रद्धालुओं ने विधि–विधान से पूजा–अर्चना कर भगवान गणेश से परिवार और गांव की सुख–समृद्धि की कामना की। इसके बाद गणेश प्रतिमा का नदी में विसर्जन किया गया। विसर्जन के दौरान श्रद्धालुओं ने गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आ के जयकारे लगाए। वहीं विसर्जन घाट पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। शांतिपूर्ण ढंग से विसर्जन संपन्न होने के बाद श्रद्धालु भक्तिगीतों पर झूमते हुए अपने घर लौटे।

36 घंटे मूसलाधार बारिश से जनजीवन ठप,फसलें बर्बाद, पेड़–पोल गिरे

संवाददाता–बहराइच। तराई में 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। हवाओं संग तेज बारिश से जनजीवन पूरी तरह से ठप हो गया है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में भीषण जलभराव की समस्या पैदा हो गई है। खेतों में पानी जमा होने की वजह से फसलें बर्बाद हो गई हैं। किसान फसलों के नुकसान को लेकर चिंतित हैं। मौसम विभाग के अगले 24 घंटे ऐसे ही मौसम रहने की संभावना को देखते हुए शनिवार को सभी स्कूल व कॉलेजों में अवकाश घोषित कर दिया है। बंगाल की खाड़ी से बने निम्न दबाव के क्षेत्र की वजह से तराई के मैदानी इलाकों में गुरुवार को दोपहर से शुरू हुई मध्यम बारिश शुक्रवार को भी पूरे दिन होती रही।लगातार हो रही बारिश के चलते अधिकतम तापमान सात व न्यूनतम तापमान में करीब 3.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। बारिश व ठंड के चलते लोग घरों में कैद रहे। स्कूल व कॉलेजों में रेनी डे घोषित कर दिया गया। सड़कों व बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। बारिश से जहां धान व गन्ने की फसलों का फायदा पहुंचा है,वहीं सब्जी वर्गीय फसलों को करीब 50 फीसद तक नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही दलहनी फसलें भी बर्बाद हुई हैं। तेज हवाओं के बीच गरज–चमक संग मूसलाधार बारिश की संभावना को देखते हुए स्कूल व कॉलेजों में शनिवार को अवकाश घोषित कर दिया गया है। बीएसए ने बताया कि मौसम विभाग की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला किया गया है।

दीनदयाल के विचारों से ही खड़ा हुआ भाजपा का मजबूत संगठन –स्वतंत्र देव

संवाददाता–गोरखपुर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालय रानीडीहा में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धापूर्वक नमन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री एवं गोरखपुर जिले के प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पंडित दीन दयाल उपाध्याय के विचारों पर आगे बढ़ते हुए ही भाजपा का मजबूत संगठन खड़ा हुआ है।

प्रभारी मंत्री ने कहा कि भाजपा विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक संगठनों में स्थापित है। देश के अनेक राज्यों में पार्टी की सरकारें है। इस संगठन की वैचारिक नींव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का चिंतन और उनका समर्पित कार्यकर्ता निर्माण का विचार महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि दीनदयाल जी ने राष्ट्रसेवा और अंत्योदय की भावना से प्रेरित ऐसे कार्यकर्ताओं के निर्माण पर बल दिया, जिन्होंने संगठन को निरंतर मजबूत किया। उन्होंने कहा कि हमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों से प्रेरणा लेकर ऐसे कार्यकर्ताओं का निर्माण करना है, जो आने वाली पीढ़ियों में राष्ट्रसेवा की भावना को आगे बढ़ाएं और विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। दीनदयाल जी का जीवन और चिंतन कार्यकर्ताओं के लिए सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा।

क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय राजनीति को राष्ट्रवाद, अंत्योदय और एकात्म मानववाद की वैचारिक दिशा प्रदान की। उनका जीवन सादगी, समर्पण और संगठन के प्रति निष्ठा का उदाहरण है। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष कामेश्वर सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय, जिला अध्यक्ष जनार्दन तिवारी, जिला प्रभारी अजय सिंह गौतम, महानगर प्रभारी महेश शुक्ला, क्षेत्रीय महामंत्री सत्येंद्र सिन्हा, राहुल श्रीवास्तव, डॉ बच्चा पांडे नवीन, विधायक सहजनवा प्रदीप शुक्ला, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश गुप्ता, रणजीत राय बड़े, राजेश गुप्ता, क्षेत्रीय मंत्री हरिकेश गुप्ता, क्षेत्रीय मीडिया सह प्रभारी राहुल तिवारी, पंकज जायसवाल, पवन चतुर्वेदी आदि उपस्थित रहे।

157 घंटे लगातार चलेगा महासफाई अभियान, महापौर ने हरी झंडी दिखाई

संवाददाता–गोरखपुर। राजीव दत्त पाण्डेय स्वच्छता ही सेवा–2026 के तहत 25 सितम्बर से दो अक्टूबर तक 157 घंटे का सतत महासफाई अभियान चलेगा। महापौर डॉ. मंगलेश कुमार श्रीवास्तव ने शुक्रवार 25 सितंबर को नगर निगम परिसर से को हरी झंडी दिखाकर अभियान की रैली को रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वच्छता जनभागीदारी से संचालित राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले चुकी है। उन्होंने विद्यार्थियों और युवाओं समेत शहरवासियों से अभियान में बढ़–चढ़कर भागीदारी करने की अपील की। नगर निगम क्षेत्र में 15 सितम्बर से 17 अक्टूबर तक 'स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत' की थीम पर स्वच्छता ही सेवा–2026 अभियान चलाया जा रहा है। नगर आयुक्त अजय जैन ने बताया कि इसके मुख्य चरण में 25 सितम्बर से लगातार महासफाई अभियान होगा। अभियान के मुख्य चरण में 25 सितम्बर से 02 अक्टूबर तक समस्त मलिन बस्तियों में 157 घंटे का सतत महासफाई अभियान चलाया जाएगा।

25 और 26 सितम्बर को पं. दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर 'क्लीन ग्रीन फेस्टिवल' के साथ धार्मिक स्थलों की सफाई होगी। 27 सितम्बर को विश्व पर्यटन दिवस पर पर्यटन स्थलों पर प्लास्टिक बहिष्कार अभियान चलाया जाएगा। 28 और 29 सितम्बर को 'स्वच्छता से समृद्धि' के तहत कबाड़ से जुगाड़ (वेस्ट–टू–आर्ट), आरआरआर सेंटरों की सक्रियता और रीसाइक्लिंग मेले आयोजित होंगे। एक अक्टूबर को 'एक दिन, एक घंटा, एक साथ' अभियान के तहत वृहद जनश्रमदान कराया जाएगा। दो अक्टूबर को स्वच्छ भारत दिवस पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले सफाई मित्रों और स्वयं सहायता समूहों को सम्मानित किया जाएगा। रैली में बड़ी संख्या में स्वच्छता मित्र शामिल हुए। इस दौरान अपर नगर आयुक्त प्रमोद कुमार, अतुल कुमार, गौरव रंजन श्रीवास्तव समेत सभी सहायक नगर आयुक्त, जोनल अधिकारी समेत संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

जेल का जिला जज समेत अफसरों ने किया औचक निरीक्षण

संवाददाता–सिद्धार्थनगर। शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे जिला जज, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जिला कारागार का अचानक निरीक्षण किया। अधिकारियों ने जेल पहुंचने से परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तेजी आ गई। इस दौरान जेल अधीक्षक के साथ काफी पुलिस बल मौजूद था। अधिकारियों ने जेल की सभी बैरकों की जांच की और वहां मौजूद कैदियों की गहरी पड़ताल की। उन्होंने जेल परिसर की सुरक्षा, कैदियों की निगरानी और नियमित जांच की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी अशोक कुमार पुत्र बाबूलाल ग्राम– मोहम्मदनगर पोस्ट– असनहरा जनपद बस्ती (उ.प्र.) का निवासी है। मेरे पुत्र का नाम आधारकार्ड में प्रियांशु जायसवाल (PRIYANSHU JAISWAL) जन्म तिथि 15–4–2012 है। मैंने अपने पुत्र का नाम प्रियांशु जायसवाल से बदलकर कवि जायसवाल (KAVI JAISWAL) कर दिया है। उसका नाम आधारकार्ड में प्रियांशु जायसवाल (PRIYANSHU JAYSVAL) के स्थान पर कवि जायसवाल (KAVI JAISWAL) कराया जाय।

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा बनाम रेपान्डेन्ट बावत इत्तिला तारीख मुकर्ररह समायत अपील
अदालत– श्रीमान डी0डी0सी0 महोदय बस्ती जिला–बस्ती
निगरानी सं0–931
अन्तर्गत धारा 48(1) जो0च0अधि0
अरुणेश कुमार सिंह
बनाम
श्रीमती जोखना देवी
1. अखिलेश सिंह पुत्र सन्तोष सिंह 2. आशा देवी पत्नी सन्तोष सिंह 3. कु0 पूजा पुत्री सन्तोष सिंह ग्राम पोखरामय हसनपुर तप्पा नवाई परगना नगर पश्चिम तहसील हर्रैया जिला बस्ती

तारीख पेशी 29–09–2026

अपील बनराजी अदालत मुकाम बस्ती मयरिखा महीना सन् 20 ई0 रेस्पान्डेन्ट

इत्तिला दी जाती है कि अपील बनराजी डिगरी इस मुकदमें में मुसम्मी ने पेश इस अदालत में दर्ज रजिस्टर हुआ और इस अदालत व तारीख 29 महीना 09 सन 2026 ई0 वास्ते जमानत तथा अपील मुकर्रर का है। अगर खुद या आपके वकील या और शख्स जो कानूनन आपकी तरफ से अपील हाजा में जवाब सवाल करने वाजिद हो हाजिर न आयेगा तो उसकी समायत और तजबीज आपकी गैर हाजिरी में एकतरफा हो जायेगी।

आज बतारीख 23 माह 09 सन 206 ई. मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के हवाले किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इश्तहार मजरिया अदालत– श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला–बस्ती
प्रकीर्ण उत्तराधिकार वाद सं0 287/2026
जगदम्बा सिंह–सायलान
1– जगदम्बा सिंह उम्र करीब 50 वर्ष पुत्र फतेहबहादुर सिंह 2– संजय सिंह उम्र 46 वर्ष पुत्र फतेहबहादुर सिंह 3– रंजय सिंह उम्र करीब 43 वर्ष पुत्र फतेहबहादुर सिंह 4– रणविजय सिंह उम्र करीब 37 वर्ष पुत्र फतेहबहादुर सिंह 5– प्रिया सिंह उम्र करीब 39 वर्ष पत्नी स्व0 सुरेश सिंह 6– श्रीयश सिंह उम्र करीब 10 वर्ष पुत्र स्व0 सुरेश सिंह संरक्षक माता हकीकी प्रिया सिंह साकिनान मौजा पिकौरा तप्पा रतनपुर परगना बस्ती पश्चिम पोस्ट–सुकरौली चौधरी तहसील हरैया जिला बस्ती पिन–272155

तारीख पेशी 28–09–2026

दरख्वास्त मुसम्मा वास्ते हुसूल सर्टीफिकेट वसूल कर्जा व विकालत हाय दरख्वास्त मुसम्मा मुतवफ्फा अपने बमूजिब एक्ट 7 सन 1889 ई0 वकैद

हरगाह मुसम्मा ने दरख्वास्त हुसूल सर्टीफिकेट गुजरानी है और तारीख माह सन ई0 वास्ते समाअत दरख्वास्त के मुकर्रर हुई है। लिहाजा यह इश्तिहार जारी किया जाता है कि किसी को निस्बत के उज्र हो या असालतन या वकालतन वक्त 10 बजे सुबह अदालत सिविल जज (जू0डि0) बस्ती बतारीख पेशी 28–09–2026 मुकर्रर हाजिर होकर उज्र अपना पेश करें। दरसूरत इनकजाय तारीख मजकूर के फिर उज्र किसी का सुना न जायेगा और हुक्म मुनासिब निस्बत दरख्वास्त मजकूर के सादिर होगा।

अलमरकूम माह सन 2026 ई0।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला–बस्ती
मूलवाद सं0–1051/2025
हरिश्चन्द्र
बनाम
ज्ञानमती
1. ज्ञानमती पत्नी स्व0 रामसजन ग्राम भूअर निरंजनपुर तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरब तहसील व जिला बस्ती

तारीख पेशी 12–11–2026

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 12 माह 11 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जवाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जवाब ऐसे सवालात का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिए और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कतई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज जो जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

बिना अनुमति होर्डिंग लगाने पर एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव पर मुकदमा

संवाददाता–गोरखपुर। विश्वविद्यालय के छात्रसंघ चौराहा समेत शहर के विभिन्न स्थानों पर बिना अनुमति होर्डिंग और फ्लेक्स लगाने के मामले में एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव आदित्य शुक्ला के खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। नगर निगम के अपर आयुक्त प्रमोद कुमार की तहरीर पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक अविरल मिश्रा को सौंपी गई है। नगर निगम के अपर आयुक्त ने शुक्रवार को कैंट थाने में पत्र देकर शिकायत की थी। इसमें आरोप लगाया गया कि आदित्य शुक्ला ने नगर निगम से अनुमति लिए बिना गोरखपुर विश्वविद्यालय, छात्रसंघ चौराहा और शहर के अन्य स्थानों पर कई होर्डिंग और फ्लेक्स लगाए हैं। नगर निगम ने इन होर्डिंग और फ्लेक्स को आपत्तिजनक बताते हुए संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी। शिकायत मिलने के बाद कैंट पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक शहर में होर्डिंग, बैनर और पोस्टर लगाने के लिए अनुमति लेना जरूरी है। बिना अनुमति प्रचार सामग्री लगाने पर रोक है। अधिकारियों का कहना है कि अनधिकृत होर्डिंग और फ्लेक्स से शहर की सुंदरता प्रभावित होने के साथ यातायात व्यवस्था पर भी असर पड़ता है। नगर निगम की ओर से ऐसे मामलों में कार्रवाई की जाती है। वहीं, कार्रवाई के बाद छात्र राजनीति में चर्चा तेज हो गई है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का कहना है कि विश्वविद्यालय से जुड़े मुद्दों को लेकर फ्लेक्स लगाए गए थे। दूसरी ओर नगर निगम का कहना है कि नियम सभी के लिए समान हैं और किसी को भी बिना अनुमति प्रचार सामग्री लगाने की छूट नहीं दी जा सकती।

अदालती नोटिस

सम्मन बरगज इनफिसाल मुकदमा
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)
वाद सं0– T202517140312914
धारा 116 उ0प्र0रा0सं0–2006
अदालत– श्रीमान अतिरिक्त अधिकारी प्रथम महोदय बस्ती जिला–बस्ती
हीरा लाल
बनाम
सरकार आदि
1. रामलखन पुत्र नोखई 2. रामनेवास पुत्र चइयव 3. सीताराम पुत्र दोसई 4. ओमप्रकाश पुत्र राम कुमार 5. रामहित पुत्र हीरालाल 6. विशनू पुत्र रामचरित्तर 7. श्रीमती हंसराजी पत्नी हीरालाल 8. हरीराम पुत्र पन्नालाल 9. उदयभान पुत्र रामबहाल 10. मनोज कुमार पुत्र रामबहाल 11. कम्मल पुत्र कोलई 12. मोहनलाल पुत्र शिवबालक निवासीगण ग्राम हरनखा तप्पा हवेली परगना नगर पूरब तहसील व जिला बस्ती 13. भूमि प्रबन्धक समिति जरिये ग्राम प्रधान हरनखा तप्पा हवेली परगना नगर पूरब तहसील व जिला बस्ती

तारीख पेशी 29–09–2026

वाजेह हो कि ने आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 29 माह 09 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालात का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कतई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 25 माह 09 सन 2026 ई0 जारी किया गया।

– द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बरगज इनफिसाल मुकदमा
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)
वाद सं0– /2026
धारा 144 उ0प्र0रा0सं0–2006
अदालत– श्रीमान अपर उप जिलाधिकारी महोदय बस्ती जिला–बस्ती
नरेन्द्रनाथ
बनाम
सत्येन्द्रनाथ आदि
साकिन रमवापुर तप्पा कड़र परगना बस्ती पूरब तहसील व जिला बस्ती
1. सत्येन्द्रनाथ पुत्र राजाराम साकिन रमवापुर तप्पा कड़र परगना बस्ती पूरब तहसील व जिला बस्ती 2. गांव सभा कनैली जरिये प्रधान ग्राम कनैली तप्पा कड़र परगना बस्ती पूरब तहसील व जिला बस्ती 4. उत्तर प्रदेश सरकार जरिये कलेक्टर महोदय बस्ती

तारीख पेशी 30–09–2026

वाजेह हो कि ने आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 30 माह 09 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जवाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालात का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कतई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

– द0 हाकिम

बेदखली सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी अली अहमद पुत्र बशीर ग्राम पूरे अवधी थाना– हर्रैया, जनपद बस्ती का निवासी है। मेरा पुत्र रमजान अली उम्र लगभग 25 वर्ष अब परिवार के साथ नहीं रहता है तथा अपनी इच्छा से अलग रहकर अपने मनमाने ढंग से कार्य करता है। वह लगभग तीन वर्षों से असामाजिक तत्वों के संपर्क में रहकर अनुचित गतिविधियों में संलिप्त है, जिसके कारण परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा प्रभावित हो रही है। परिवार द्वारा समझाने–बुझाने के बावजूद उसके आचरण में सुधार नहीं हुआ। इसे देखते हुये मैंने अपने पुत्र रमजान अली को अपने चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है। अब उसका परिवार की किसी भी संपत्ति, लेन–देन अथवा पारिवारिक मामले से कोई संबंध नहीं माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति उसके साथ परिवार अथवा संपत्ति के संबंध में किसी प्रकार का लेन–देन करता है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की स्वयं होगी तथा परिवार इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। प्रकाशन इसलिये करा रहा हूं कि वक्त जरूरत पर काम आवे।

कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक यू0पी0 कोऑपरेटिव यूनियन लि0, बस्ती मण्डल बस्ती

पत्रांक–75/पी.सी.यू./मू0 सा0/2026–27 दिनांक 25 सितम्बर 2026

अल्पकालीन ई–निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उ0प्र0 कोआपरेटिव यूनियन लि. द्वारा मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत खरीफ विपणन वर्ष 2026–27 में बस्ती मण्डल के जनपद बस्ती, सिद्धार्थनगर एवं सन्तकबीर नगर में जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित क्रमशः 8, 20, 9 क्रय केन्द्रों पर क्रय किए जाने वाले धान एवं आगामी रबी विपणन वर्ष 2027–28 में गेहूं (यदि धान के सेण्टर आगामी गेहूं में है) के हैण्डलिंग कार्य हेतु ठेकेदारों/फर्मो से निविदायें दिनांक 26–9–2026 से दिनांक 04.10.2026 तक आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र मूल्य, धरोहर धनराशि, निविदा विशिष्टियां, निविदा खुलने की तिथि एवं अन्य सम्बंधित जानकारी http/ etender. up.nic.in पर उपलब्ध है।

क्षेत्रीय प्रबंधक
पी0सी0यू0
बस्ती मण्डल,बस्ती

राम मंदिर चढ़ावा चोरीः चंपत समेत 133 गवाह, सीसीटीवी फुटेज बन सकते है सजा का आधार

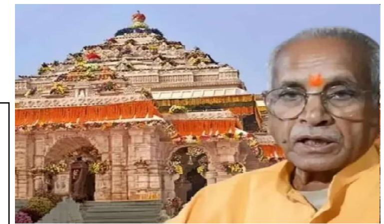

संवाददाता–अयोध्या। अयोध्या की राममंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में दाखिल करीब 74 हजार पेज की चार्जशीट को अदालत में आरोपों को साबित करने की पुलिस की पूरी कड़ी बननी है। चंपत राय, अनिल मिश्र समेत करीब 133 गवाहों के बयान, सीसीटीवी फुटेज, आरोपियों से बरामद चढ़ावे की रकम व अन्य सामान, वाहनों की बरामदगी, कॉल डिटेल और बैंक लेनदेन से जुड़े दस्तावेजों को पुलिस ने विवेचना का हिस्सा बनाया है। ये सभी सजा के आधार बन सकते हैं। अब अदालत में इन्हीं साक्ष्यों की विश्वसनीयता और एक–दूसरे से जुड़ाव यह तय करने में अहम होगा कि आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप किस हद तक साबित होते हैं।

अदालत में अभियोजन को यह साबित करना होता है कि घटना हुई, उसमें संबंधित आरोपी की भूमिका क्या थी और पुलिस ने जिस साक्ष्य के आधार पर उसे आरोपी बनाया है, वह कानून की कसौटी पर कितना टिकता है। चढ़ावा चोरी मामले में भी 74 हजार पन्नों में दर्ज साक्ष्यों को इसी कसौटी से गुजरना होगा।

विवेचना में आरोपियों के पास से बरामद नगदी भी महत्वपूर्ण साक्ष्य है। पुलिस के अनुसार अलग–अलग आरोपियों से लाखों रुपये की नकदी समेत अन्य कीमती वस्तुएं बरामद हुई हैं। अब अभियोजन को यह भी साबित करना होगा कि बरामद धनराशि का संबंध अपराध से किस प्रकार है। इसके लिए बरामदगी की परिस्थितियां, रकम का स्रोत, आरोपी की गतिविधियां, बैंक खातों के लेनदेन और दूसरे दस्तावेज महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चार्जशीट में करीब 133 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। इनमें मंदिर व्यवस्था से जुड़े लोगों के साथ आरोपियों के परिचितों समेत ऐसे लोग भी शामिल हैं, जिनके बयान घटनाक्रम, चढ़ावे की गिनती, दानपात्रों की व्यवस्था, बैंकिंग प्रक्रिया और आरोपियों की गतिविधियों से संबंधित हो सकते हैं। इनसे आरोपियों का दोष सिद्ध करने में काफी मद मिलेगी।

चार्जशीट में श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के पूर्व पदाधिकारी चम्पतराय, अनिल मिश्रा के साथ गोपालराय को गवाह बनाया गया है। इनकी गवाही आरोपियों को सजा दिलाने में काफी अहम रोल निभाएगी। क्योंकि मंदिर की व्यवस्था से जुड़े रहने के कारण इन्हें आरोपियों के बारे में काफी कुछ पता है। लेकिन गवाही के दौरान इनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि अदालत में किसी भी गवाह को जिरह की कसौटी से गुजरना पड़ता है।

चार्जशीट दाखिल होने के साथ पुलिस की विवेचना खत्म हो गई। अब कोर्ट में 74 हजार पेज में दर्ज हर महत्वपूर्ण साक्ष्य को देखा जाएगा। बरामदगी की परिस्थितियां, गवाहों के बयान, बैंक खातों का लेनदेन, सीसीटीवी की प्रामाणिकता और अन्य दस्तावेज इन सभी को जोड़कर अभियोजन को आरोप साबित करने होंगे।

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
प्रतिकर वाद सं0–125/2022
अदालत–श्रीमान समक्ष मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण महोदय जिला–बस्ती
विमला देवी आदि
बनाम
विजय कुमार जायसवाल आदि
2– पप्पू निषाद पुत्र श्री श्यामलाल निषाद निवासी मदारपारी, खमपुर, भीटी, जनपद अम्बेडकर नगर पिनकोड नम्बर–224132 (चालक डम्पर नम्बर यू.पी0 32 सी. जेड. /7208)

तारीख पेशी 26–09–2026

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 26 माह 09 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जवाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जवाब ऐसे सवालात का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिए और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कतई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बरगज इनफिसाल मुकदमा
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)
वाद सं0– /2026
धारा 116 उ0प्र0रा0सं0–2006
अदालत– श्रीमान अपर उप जिलाधिकारी महोदय बस्ती जिला–बस्ती
रत्नेश गुप्ता आदि
बनाम
रामतीरथ आदि
साकिन रिठिया तप्प दुबखरा परगना नगर पूरब तहसील व जिला बस्ती
1. रामतीरथ चौधरी पुत्र राम अचल 2. श्रीमती जानकी पत्नी राम तीरथ साकिन रिठिया तप्पा दुबखरा परगना नगर पूरब तहसील व जिला बस्ती 3. गांव सभा दुबखरा जरिये प्रधान ग्राम रिठिया तप्पा दुबखरा परगना नगर पूरब तहसील व जिला बस्ती 4. उत्तर प्रदेश सरकार जरिये जिलाधिकारी बस्ती

तारीख पेशी 26–09–2026

वाजेह हो कि ने आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 26 माह 09 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालात का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कतई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 22 माह 09 सन 2026 ई0 जारी किया गया।

– द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बरगज इनफिसाल मुकदमा
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)
वाद सं0– /2026
T202617140312117
धारा 116 उ0प्र0रा0सं0–2006
अदालत– श्रीमान प्रथम उप जिलाधिकारी महोदय सदर बस्ती जिला–बस्ती
अहमद हुसैन
बनाम
नूरजहाँ आदि
1. नूरजहाँ पत्नी नबी मोहम्मद 2. परवेज अहमद वालिग पुत्र नबी मोहम्मद निवासीगण मौजा घरसोहिया तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरब तहसील व जिला बस्ती
–प्रतिवादीगण प्रथम वर्ग
3. मेंहदी हसन 4. इसरार अली वालिग पुत्रगण मोहम्मद अली 5. मो0 याशीन 6. आशिफ अली वालिग पुत्रगण आशिक अली 7. रूखसाना पत्नी आशिक अली 8. मो0 रईश 9. इरशाद अली 10. मुस्ताक अली 11. आमिर अली वालिगान पुत्रगण मो0 शफी 12. श्रीमती रफीकुनिशा पत्नी मो0 शफी 13. मो0 इदरीश पुत्र सुबेदार 14. इमरान 15. रिजवान पुत्रगण मुख्तार अली 16. फातिमा खातून पत्नी शाजिद अली निवासीगण मौजा घरसोहिया तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरब तहसील व जिला बस्ती
–प्रतिवादीगण द्वितीय वर्ग
17. नौशाद अली 18. अख्तर अली वालिगान पुत्रगण शौकत अली निवासीगण मौजा घरसोहिया तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरब तहसील व जिला बस्ती
–प्रतिवादीगण तृतीय वर्ग

तारीख पेशी 30–09–2026

वाजेह हो कि ने आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 30 माह 09 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालात का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कतई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फ़ैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 22 माह 09 सन 2026 ई0 जारी किया गया।

– द0 हाकिम

डॉ. अग्रवाल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर अर्पित की पुष्पांजलि

संवाददाता–गोरखपुर। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव भाजपा एवं सांसद राज्यसभा डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने शुक्रवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर पहुंचकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया। डॉ. अग्रवाल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के राष्ट्र एवं समाज के प्रति योगदान को स्मरण करते हुए उनके विचारों और आदर्शों को आत्मसात करने का आह्वान किया। इस अवसर पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. कृष्ण पाल सिंह भी उपस्थित रहे।

दैनिक भारतीय बस्ती
संस्थापक सम्पादक स्व. दिनेश चन्द्र पाण्डेय
स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1–4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।
प्रबन्ध सम्पादक–दिनेश सिंह
संयुक्त सम्पादक–प्रदीप चन्द्र पाण्डेय
अयोध्या–फैजाबाद कार्यालय– चतुर्मुखी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या–फैजाबाद
लखनऊ कार्यालय– आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच. कानपुर रोड लखनऊ।
गोरखपुर कार्यालय– इलाहीबाग गोरखपुर।
मो0 9336715406, 8400925463
ई.मेल bhartiyabasti@gmail.com
dainikbhartiyabasti@gmail.com